ELECTRICITY CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM : CHANDBAD : BHOPAL 462 010.

Phone:-2747352, E-mail ecgrfbpl.bhopal@gmail.com,

No.ECGRF/Orders/1042Bhopal, Date:29-10-2018

To,
The Webmaster,
O/o DGM (IT),
MPMKVVCL, Nishtha Parisar,
Govindpura, Bhopal 462 023.

Sub:- Submission of Orders passed by the Forum, Bhopal in the month of October.'2018

…

In compliance to provision made under clause 3.32 of Electricity Regulation (Revision-I) 2009, the orders passed by this forum during the month of October'2018 as detailed below are being sent herewith, both in hard and soft copy (E-mail) for uploading on the company's web site.

October'2018

S.No.	Case No.&Dt.	Name of Applicant	Name of Non-applicant	Order Date
1	बी.टी./16 07.08.2018	श्री शफीक मो. पिता श्री फेज मो. ईटखेडी, भोपाल।	उपमहाप्रबंधक (सं/सं.) वृत्त म.प्र. म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल।	06.10.2018
2	बी.टी./17 23.07.2018	श्री राजेश देवानी, इटारसी होशंगाबाद।	उपमहाप्रबंधक (सं/सं.) वृत्त म.प्र. म.क्षे.वि.वि.कं.लि. इटारसी ।	09.10.2018
3	बी.टी./14 04.07.2018	श्री शिवप्रसाद चतुर्वेदी, विदिशा।	उपमहाप्रबंधक (सं/सं.) वृत्त म.प्र. म.क्षे.वि.वि.कं.लि. विदिशा।	10.10.2018
4	बी.टी/02 02.04.2018	श्रीमति नूतन पाठक, एम.पी. नगर जोन –1 भोपाल।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (दक्षिण) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल।	15.10.2018
5	जी. टी/12928. 03.2018	श्री शैलेन्द्र वर्मा, श्री कृष्णा डेरी फार्म लश्कर, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (दक्षिण) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल।	15.10.2018
6	जी.टी/151 28.03.2018	श्री अम्बशी कुमार गुप्ता बहोड़ापुरा, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (उत्तर) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल।	15.10.2018
7	जी. टी/3012. 06.2018	श्री सुखवीर सिंह कुशवाह फूल बाग, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (उत्तर) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	16.10.2018
8	जी. टी/4316. 07.2018	श्री राकेश श्री वास्तव लोहा मण्डी,ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (उत्तर) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	17.10.2018
9	जी. टी/4416. 07.2018	श्री राजाराम आर्य, बिरला नगर, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (उत्तर) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	17.10.2018
10	जी. टी/4616. 07.2018	श्री रमेश चन्द्र बाथम, सूरज नमकीन के पास, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (उत्तर) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	18.10.2018
11	जी.टी/57 13.06.2018	श्रीमति ऊषा तोमर, गोले का मंदिर, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	18.10.2018
12	जी. टी/6210. 09.2018	श्री नाथूराम दुबे, पत्रकार कालोनी, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (उत्तर) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	20.10.2018
13	जी.	श्रीमति प्रमिला देवी, चार शहर	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (उत्तर)	20.10.2018

	टी/6410. 09.2018	का नाका, ग्वालियर।	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	

Encl: (13) Orders A/a.

CHAIRPERSON

ECGRF BHOPAL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 10 / 2018

प्रति,
श्री फेजमा मो.,
766, केटेग्रेराईज्ड मर्किट, भोपाल (म.प्र.)

विषय :–प्रकरण क्रमांक BT-16/2018दिनॉक 07.08.2018 में फोरम के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक BT-16/2018दिनॉक 07.08.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनॉक 06.10.2018 को कर दिया गया है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक (सं. / सं.) संभागम.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि भोपाल। (म.प्र.) – ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक बी.टी.–16 / 2018 दिनांक 7.08.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 06.10.2018इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.बी.टी.16/2018

07.08.2018

श्री शफीक मोह. पिता फेज मोह., (आवेदक)
बिशन खेड़ी, ईट खेड़ी भोपाल, भोपाल (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक (सं./सं.) संभाग(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
भोपाल (म.प्र.)

आदेश

आज–06.10.2018 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा बी.टी/16दिनॉक 07.08.18 को पंजीकृत कर दिनॉक 30.08.2018 एवं 04.10.2018को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि हमारे मार्च 2017 के बिल में 1000 यूनिट आंकलित खपत लगाकर बिल जारी किया गया था। हमारा माननीय फोरम से यह निवेदन है कि माह मार्च 2017 के बिल में जो आंकलित खपत लगाई गई है, वह स्वीकार नही है। नियमानुसार जो भी हमारा बिल बनता है, वह बिल हमें जारी किया जायें, जिसका हम भुगतान करने हेतु तैयार है।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में अपना लिखित कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर कथन किया किउपभोक्ता द्वारा माह मार्च 2017 में आंकलित खपत 1000 यूनिट वापस नही लिये जाने की शिकायत की गई है जबकि इसके विपरीत माह फरवरी 2017 में उपभोक्ता की अस्वभाविक खपत 7623 आई थी एवं मीटर जल गया था। जिसके उपरांत उपभोक्ता के परिसर में नया मीटर लगा दिया गया था। पुराना मीटर उपभोक्ता द्वारा मीटर की जांच कराये जाने एवं मीटर डिफेक्टीव पाये जाने पर तद्नुसार उपभोक्ता की माह जनवरी 2017 से मार्च 2017 के यूनिटो को जिसमें आंकलित खपत 1000 यूनिट भी सम्मलित है, नये मीटर की खपत माह अप्रैल 2017 से दिसम्बर 2017 जो 7032 यूनिट थी (7032÷9) = 781) का औसत निकाला जा कर संशोधित किया गया, जिसकी राशि रूपये 37229/– है।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।

दिनांक 30.08.2018 को आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष में कथन किया कि प्रकरण हमारे मार्च 2017 के बिल में 1000 यूनिट आंकलित खपत लगाकर बिल जारी किया गया था। हमारा माननीय फोरम से यह निवेदन है कि माह मार्च 2017 के बिल में जो आंकलित खपत लगाई गई है, वह स्वीकार नही है। नियमानुसार जो भी हमारा बिल बनता है, वह बिल हमें जारी किया जायें, जिसका हम भुगतान करने हेतु तैयार है।

दिनांक 30.08.2018 को अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया किउपभोक्ता द्वारा माह मार्च 2017 में आंकलित खपत 1000 यूनिट वापस नही लिये जाने की शिकायत की गई है जबकि इसके विपरीत माह फरवरी 2017 में उपभोक्ता की अस्वभाविक खपत 7623 आई थी एवं मीटर जल गया था। जिसके उपरांत उपभोक्ता के परिसर में नया मीटर लगा दिया गया था। पुराना मीटर उपभोक्ता द्वारा मीटर की जांच कराये जाने एवं मीटर डिफेक्टीव पाये जाने पर तद्नुसार उपभोक्ता की माह जनवरी 2017 से मार्च 2017 के यूनिटो को जिसमें आंकलित खपत 1000 यूनिट भी सम्मलित है, नये मीटर की खपत माह अप्रैल 2017 से दिसम्बर 2017 जो 7032 यूनिट को 9 बराबर माहों में विभक्त कर (7032÷9) = 781) 781 यूनिट के अनुसार आवेदक को राशि रूपये 37,229/– की क्रेडिट माह अप्रैल 2018 में दी जा चुकी है एवं आवेदक को संशोधित बिल जारी कर दिया गया है। इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, अतः माननीय फोरम से प्रकरण समाप्त करने हेतु अनुरोध किया है।

दिनांक 04.10.2018 को अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया गया कि आवेदक के माह जनवरी 2017 में 977 यूनिट खपत का बिल जारी किया गया था। माह फरवरी 2017 में आवेदक का मीटर जंप होने के कारण

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

आवेदक को माह फरवरी 17 में 7623 यूनिट खपत का बिल जारी किया गया था। माह फरवरी 17 में आवेदक का मीटर जल गया था, जिसके कारण आवेदक को माह मार्च 17 में 1000 यूनिट का आंकलित खपत का बिल जारी किया गया था। आवेदक के परिसर में माह मार्च 17 में नया मीटर लगा दिया गया था। आवेदक के परिसर से निकाले गये जले मीटर को क्षेत्रीय मीटर टेस्टिंग लेब, भोपाल में परीक्षण कराया गया, जिसमें मीटर डिफेक्टिव पाया गया। नये मीटर में दर्ज खपत के आधार पर आवेदक को माह अप्रैल 17 से दिसम्बर 17 तक की कुल खपत का 9 माह की औसत खपत 781 यूनिट लेकर जनवरी 17 से मार्च 17 तक कुल 3 माह का बिलिंग स्टेटमेण्ट बनाया गया था, जिसमें आवेदक को राशि रूपये 37229/– का समायोजन उनके विद्युत बिलों में किया जा चुका हैं।

बी.आई.सेल, संचा./संधा. वृत्त, भोपाल द्वारा आवेदक द्वारा विद्युत बिलों का भुगतान न किये जाने के कारण 22.11.16 को प्रकरण दर्ज किया गया था। आवेदक पर माह नवम्बर 16 में बकाया राशि रूपये 37709/– थीं, जिसे कार्यालयीन त्रुटि के कारण माह फरवरी 17 के विद्युत बिलों में जोड़कर आवेदक को माह फरवरी 17 में कुल राशि रूपये 48892/– का बिल जारी हो गया था। आवेदक को उनके विद्युत बिलों में जोड़ी गई अतिरिक्त राशि रूपये 37709/– को विथड्रा करते हुए माह सितम्बर 18 में समायोजन करते हुए आवेदक को राशि रूपये 46950/– का संशोधित बिल जारी किया गया हैं। इस प्रकार आवेदक की शिकायत का पूर्ण रूपेण निराकरण किया जा चुका हैं, जिससे आवेदक भी सहमत हैं। अतः माननीय फोरम से निवेदन हैं कि प्रकरण को समाप्त करने का कष्ट करें।

आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि वे अनावेदक द्वारा उनके प्रकरण में की गई कार्यवाही से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं एवं उन्हें प्रकरण में अब आगे और कुछ नहीं कहना हैं। अतः प्रकरण समाप्त कर दिया जायें।

प्रकरण में फोरम द्वारा समीक्षा करने पर पाया गया कि आवेदक के परिसर से माह मार्च 2017 में निकाले गये मीटर की जांच मीटर टेस्टिंग लैब में कराये जाने पर मीटर डिफेक्टिव पाया गया। जिसके आधार पर अनावेदक द्वारा आवेदक को माह फरवरी 2017 में प्रदान किये गये 7623 यूनिट एवं मार्च 2017 में प्रदान किये गये 1000 यूनिट आंकलित यूनिट के बिल को नये मीटर में 9 माहों में दर्ज औसत खपत 781 यूनिट प्रतिमाह के अनुसार संशोधित करते हुये रूपये 37229/– का क्रेडिट समायोजन माह अप्रैल 2018 के बिल में पूर्व में ही कर दिया गया। इसके अतिरिक्त आवेदक के बिल में त्रुटिवश बकाया राशि के मद में जोड़ी गयी राशि रूपये 37709/– को भी माह सितम्बर 2018 के बिल में क्रेडिट समायोजन करते हुये संशोधन उपरांत राशि रूपये 46950/– का भुगतान योग्य देयक प्रदान किया गया। जिससे आवेदक द्वारा अपनी पूर्ण संतुष्टि व्यक्त की गयी।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

अतः फोरम द्वारा प्रकरण में अनावेदक द्वारा की गयी विधि अनुसार कार्यवाही को मान्य करते हुये प्रकरण समाप्त किया जाता है।

प्रकरण निर्णीत।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 06.10.2018
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	**(एस.एस.मंडलोई)**	**(राजीव अग्रवाल)**
सदस्य (राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 10 / 2018

प्रति,
श्री राजेश देवानी,
सूरज चौराह के पास, इटारसी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

विषय :–प्रकरण क्रमांक BT-17/2018दिनॉक 23.08.2018 में फोरम के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक BT-17/2018दिनॉक 23.08.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनॉक 09.10.2018 को कर दिया गया है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक (सं. / सं.) संभागम.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि इटारसी। (म.प्र.) – ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक बी.टी.–17 / 2018 दिनांक 23.08.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 09.10.2018इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.बी.टी.17/2018

23.07.2018

श्री राजेश देवानी, (आवेदक)
सूरज चौराह के पास, इटारसी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक (सं./सं.) संभाग(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
इटारसी (म.प्र.)

आदेश

आज–09.10.2018 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा बी.टी/17दिनॉक 23.08.18 को पंजीकृत कर दिनॉक 12.09.2018 एवं 04.10.2018को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि सूरजगंज चौराहा के पास स्थित मेरी दुकान (हनी बनी बेकर्स) में गैर घरेलू विद्युत संयोजन (आर.व्ही.आर.एस. क्रमांक 6315629962, सर्विस क्रमांक 2454558–62–6315629952) कार्यरत है। लंबे समय से उक्त विद्युत मापक द्वारा लगभग 350 यूनिट प्रतिमाह विद्युत खपत दर्शायी जाती रही है।

   वर्तमान विद्युत देयक में माह जून 2018 की विद्युत खपत आश्चर्यजनक रूप से 2005 यूनिट दर्शायी गई है, जो कि पूर्ववर्ती मासिक खपत के 6 गुना से भी अधिक है। इससे प्रमाणित है कि उक्त विद्युत मापक में कोई गंभीर त्रुटि आ जाने के कारण अत्यंततीव्र गति से चलने लगा है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मेरी दुकान में पूर्व के विद्युत उपकरणों में कोई वृद्धि नही की गई है। उक्त त्रुटिपूर्ण विद्युत मापक के कारण मुझको गंभीर आर्थिक क्षति संभावित है।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

अतएव निवेदन है कि उक्त त्रुटि पूर्ण विद्युत मापक को तत्काल बदलकर पूर्व के औसत मासिक खपत के आधार पर संशोधित विद्युत देयक जारी करने की कृपा करे।

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में अपना लिखित कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर कथन किया किः–

1. उपभोक्ताआवेदक श्री राजेश दीवानी, निवासी इटारसी द्वारा दिनांक 23.10.2017 को 5 किलोवॉट का गैर घरेलू कनेक्शन बेकरी की दुकान हेतु लिया गया था। उपभोक्ता के यहॉ मीटर क्रमांक 05–00010970 मेक विजन टेक प्रारंभिक रीडिंग 03 पर लगाया गया था।

2. आवेदक को जून माह के विद्युत बिल में 2005 यूनिट का बिल जारी हुआ, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा संबंधित कार्यालय में की गई। शिकायत उपभोक्ता द्वारा मीटर की जॉच/टेस्टिंग कराने हेतु आवेदन दिया गया था एवं विद्युत नियमानुसार थ्री फेस मीटर को टेस्ट कराने हेतु राशि रूपये 75/– की रसीद कटवाई गई।

3. आवेदक की शिकायत पर मीटर की जॉच करने पर यह पाया गया कि उपभोक्ता को जून माह से पूर्व चार माहों से मीटर खपत अनुसार बिल जारी नहीं हुआ। जिस कारण उपभोक्ता को एकत्रित यूनिट 2005 का बिल जारी हुआ, जिसकी जानकारी आवेदक को दे दी गई।

4. आवेदक के आवेदन पर स्थापित मीटर की जॉच भोपाल स्थित मीटर टेस्टिंग लेब में दिनांक 16.08.2018 को की गई, जिसमें मीटर की कार्य प्रणाली सही पाई गई, जिसकी जानकारी आवेदक को भी दे दी गई। आवेदक की बेकरी की दुकान हैं, जिसमें आईसक्रीम, केक, पानी की बॉटल आदि बेकरी के सामग्री का व्यापार किया जाता हैं। उपभोक्ता को अप्रैल, मई एवं जून 18 माह, जो कि अत्यधिक गर्म माह होते हैं, उसमें केवल त्रुटिवश 340, 293 एवं 357 का बिल जारी हुआ, जबकि वास्तविकता में उपभोक्ता द्वारा अधिक विद्युत की खपत का उपयोग किया गया था।

5. चूॅकि उपभोक्ता द्वारा वास्तविकता में विद्युत की खपत का उपयोग किया गया हैं। इसके साथ साथ मीटर की जॉच उपरांत मीटर सही पाया गया हैं, जिस कारण उपभोक्ता को समझाईश दी गई हैं कि वह अपना विद्युत बिल 4–5 किश्तों में जमा करें। उपभोक्ता द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्टि व्यक्त की गई हैं।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।

अनावेदक द्वारा प्रकरण में एक मेल दिनांक 04.10.2018 को प्रेषित कर अवगत कराया गया हैं कि आवेदक की शिकायत के निराकरण किये जाने के संबंध में प्रबंधक शहर इटारसी को संबोधित पत्र जिसमें उल्लेख किया गया हैं कि ''पूर्व में मेरे द्वारा जोविद्युत शिकायत फोरम में शिकायत की गई थी, उसका निराकरण आपके द्वारा कर दिया गया हैं। अब मुझे बिल से संबंधित कोई शिकायत नहीं हैं। मेरे द्वारा विद्युत बिल का भुगतान किश्तों में कर दूंगा।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

आवेदक द्वारा लिखित में सूचना दी गई कि उनकी शिकायत का निराकरण होने के कारण शिकायत समाप्त करने हेतु निवेदन किया गया हैं।

फोरम द्वारा प्रकरण की समीक्षा करने पर पाया कि आवेदक उपभोक्ता की इटारसी शहर में बेकरी की दुकान है, जिसमें उपभोक्ता द्वारा आईसक्रीम, केक, पानी की बोतल इत्यादि का व्यवसाय किया जाता है। उपभोक्ता का माह जून 2018 में 2005 यूनिट का बिल प्राप्त होने पर उपभोक्ता द्वारा अनावेदक प्रबंधक (इटारसी शहर) को अधिक बिल एवं मीटर की शिकायत की गयी। जिस पर अनावेदक द्वारा 13.07.2018 को मीटर निकालकर नया मीटर लगाया गया, जिसमें स्वतः आवेदक के कथन अनुसार प्रतिदिन औसत खपत 19 यूनिट दर्ज हो रही थी इससे स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता की औसत मासिक खपत 600 यूनिट लगभग है। जबकि उपभोक्ता को जनवरी 2018 से जून, मई 2018 की अवधि में क्रमशः 317 यूनिट, 330 यूनिट, 293 यूनिट एवं 357 यूनिट के विद्युत बिल प्रदान किये गये। इस संबंध में अनावेदक द्वारा अपने कथन में बताया गया कि उक्त बिल वास्तविक खपत के न होकर त्रुटिवश प्रदान किया गये, जिसके कारण माह जून 2018 में इक्ट्ठी रीडिंग 2005 यूनिट का बिल प्रदान किया गया। आवेदक के आवेदन पर अनावेदक द्वारा मीटर की कार्यप्रणाली की जांच करायी गयी, जिसमें मीटर सही पाया गया।

अनावेदक द्वारा आवेदक को वस्तु स्थिति की जानकारी देने पर आवेदक द्वारा लिखित में अपनी संतुष्टि व्यक्त की गयी तथा बिल राशि का भुगतान किश्तों में जमा कराने का निवेदन किया गया।

फोरम द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार अनावेदक द्वारा की कार्यवाही एवं आवेदक को दी गयी तथ्यात्मक जानकारी से आवेदक द्वारा संतुष्टि व्यक्त करने पर प्रकरण समाप्त किया जाता है तथा अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की लंबित बिल राशि को प्रावधान अनुसार किश्तों में जमा कराये जाने की सुविधा प्रदान करे।

प्रकरण निर्णीत।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 09.10.2018
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस.मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य (राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 10 / 2018

प्रति,
श्रीमति ऊषा तोमर पत्नी श्री जयसिंह तोमर,
ए–3, पुरूषोत्तम विहार, भिण्ड रोड़
गोले का मंदिर,ग्वालियर(म.प्र.)

विषय : फोरम के निर्णय दिनॉक 18.10.2018 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–57 / 2018 दिनॉक 13.08.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक 18.10.2018 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक, शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–57 / 2018 दिनांक 13.08.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 18.10.2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.57/2018

13.08.2018

श्रीमति ऊषा तोमर पत्नी श्री जयसिंह तोमर, (आवेदक)
ए–3, पुरूषोत्तम विहार, भिण्ड रोड़
गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
शहर संभाग (पूर्व)(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर।
(म.प्र.)

आदेश

आज–18.10.2018 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदिका के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/57 दिनॉक 13.08.18 को पंजीकृत कर दिनॉक, 06.09.2018 एवं12.10.2018 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभय पक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदिका का कथन :–** आवेदिका ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि मेरा बिल क्र. बी.आर.ओ. 757/193 माह जुलाई 2018 को प्राप्त हुआ इस बिल में वर्तमान वाचन की रीडिंग 9833 ली गयी है पूर्व वाचन की रीडिंग मई 2018 में रीडिंग 9092 को घटाकर 741 यूनिट का बिल दिया गया है, जब कि मेरे बिल में वर्तमान वाचन रीडिंग 9833 ली गयी है। वह सही है लेकिन जो रीडिंग पूर्व में ली गयी है वह गलत है, जबकि मेरे माह जून की रीडिंग 9495 है। जुलाई माह की वर्तमान रीडिंग 9833 से जून

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

माह की रीडिंग 9495 से घटाया जाय तो 338 यूनिट का बिल बनता है। कृपया कर मेरे बिल में आवश्यक सुधार कर 338 यूनिट का बिल दिया जावे जिससे में समय से बिल जमा कर सकूँ।

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदिका की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया कि श्रीमति ऊषा तोमर निवासी ए–3 पुररूषोत्तम बिहार सर्विस क्रमांक 7507203000 गैर घरेलू के देयक सम्बंधी शिकायत के तारतम्य में दिनांक 27.09. 2018 को परिसर का निरीक्षण करने पर पाया गया कि उपभोक्ता के गैर घरेलू सिंगल फेस 1000 वाट के स्थान पर परिसर में तीन दुकानों में विद्युत का उपयोग होता पाया गया एवं सम्बद्व भार 3739 वाट पाया गया है।

उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण करने हेतु माह अगस्त 2018 में आई इक्ट्ठी खपत को माह जुलाई से अगस्त 2018 तक वास्तविक खपत को बराबर विभाजित किया जाकर माह जुलाई में लगी आंकलित खपत को समाप्त कर दिया गया है, निराकरण पश्चात उपभोक्ता को रूपये 1664/– का क्रेडिट कर दिया जाकर शिकायत का निराकरण कर दिया गया है।

अतः श्रीमान जी निवेदन है कि शिकायत को समाप्त करने की कृपा करे।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, फोरम की विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर अपने–अपने कथन एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

दिनांक 12.10.2018 को आवेदिका के पति श्री जयसिंह तोमर, द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया कि माह जून 2018 में 403 यूनिट का बिल दिया गया था जिसका भुगतान दिनांक 27.06.2018 को कर दिया गया। माह जुलाई 2018 में 741 यूनिट का बिल दिया गया। जबकि हमें 338 यूनिट का बिल दिया जाना चाहिये था। हमारा फोरम से निवेदन है कि हमें जो 338 के स्थान पर जो 741 यूनिट का बिल दिया गया है उसके अंतर के यूनिट 403 का समायोजन आगामी माह के बिलों में किया जाकर बिल संशोधित करने का कष्ट करे। हमारे द्वारा माह 403 यूनिट के बिलों का भुगतान दो बार माह जून 2018 एवं जुलाई 2018 में किया गया है।

अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया कि प्रकरण का निराकरण हेतु दिनांक 27. 09.2018 को परिसर का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान उपभोक्ता के यहॉ स्वीकृत भार 1 किलोवाट के स्थान पर 3 दुकानों में विद्युत का उपयोग होने 3739 वाट विद्युत भार पाया गया। उपभोक्ता के माह जुलाई 2018 के बिल में आई खपत यूनिट के संबंध में शिकायत के निराकरण हेतु माह अगस्त 2018 में आई इक्ट्ठी खपत 741 यूनिट को माह

7/2018 से 8/2018 तक वास्तविक खपत को विभाजित किया जाकर रूपये 1664/– के क्रेडिट आवेदक को दे दिया गया है।

इस प्रकार आवेदक की शिकायत का पूर्णतः निराकरण किया जा चुका है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपभोक्ता को अपना भार बदलवाने या नये कनेक्शन लेने हेतु निर्देश देने की कृपा कर प्रकरण समाप्त करने की कृपा करे।

आवेदक द्वारा प्रकण में कथन किया गया कि अनावेदक द्वारा उनके प्रकरण में की गई कार्यवाही से संतुष्ट एवं सहमत हूँ एवं प्रकरण में उन्हें अब और कोई कथन नही कहना है। अतः प्रकरण समाप्त करने हेतु निवेदन है।

फोरम द्वारा आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो कथनो का अवलोकन किया गया एवं समीक्षा की गयी। फोरम अपनी समीक्षा में पाया कि आवेदक का उपभोक्ता को माह जून बिल्ड जुलाई 2018 में SR–9092, FR–9495 कुल खपत 403 यूनिट का राशि रूपये 3110/– का स्पॉट बिल प्रदान किया गया। जिसमें पिछली बकाया राशि (–)15200 समायोजन पश्चात देय राशि रूपये 2958/– का भुगतान आवेदक द्वारा CAC क्र. 46 दिनांक 29.06.2018 को किया गया। आवेदक को पुनः माह जुलाई बिल्ड़ अगस्त 2018 में SR–9092, FR–9833 कुल खपत 741 यूनिट का स्पॉट बिल दिया गया। जबकि उपभोक्ता माह अगस्त 2018 में SR–9495, FR–9833 कुल 338 यूनिट का बिल दिया जाना चाहिये था। इसी तथ्य को लेकर आवेदक द्वारा अनावेदक के अधीनस्थ सहायक यंत्री, दीन दयाल नगर जोन को दिनांक 25.07.2018 को अपने पत्र के माध्यम से शिकायत की गयी तथा शिकायत का निराकरण न होने पर आवेदक द्वारा दिनांक 09.08. 2018 को फोरम के समक्ष शिकायत दर्ज करायी गयी।

फोरम के समक्ष सुनवाई में आवेदक की शिकायत के निराकरण में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ आवेदक की उपभोक्ता पासबुक, कार्यालयीन नोट शीट, एवं कम्प्यूटर सिस्टम से निकाले गये माह जुलाई 2018 के विद्युत देयक का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता की पासबुक में दर्ज रिकार्ड के अनुसार माह जुलाई 2018 में उपभोक्ता को SR–9092, FR–9092 आंकलित खपत 199 का राशि रूपये 1229/– बिल प्रदान किया गया तथा माह अगस्त 2018 में दो माह की कुल 741 यूनिट का राशि रूपये 4672/– का बिल प्रदान किया गया। जबकि उपभोक्ता को मौके पर दिये गये स्पॉट बिल के अनुसार माह जुलाई 2018 में 403 यूनिट का राशि रूपये 2958/– का बिल दिया गया जिसे उपभोक्ता द्वारा जमा कर दिया गया। माह अगस्त 2018 में दो माह की कुल 741 यूनिट का राशि रूपये 4673/– का बिल दिया गया। जिसे भी उपभोक्ता द्वारा जमा कर दिया गया। उपभोक्ता पासबुक में दर्ज जानकारी के अनुसार उपभोक्ता द्वारा जुलाई माह के बिल की जमा की राशि रूपये 2958/– जो 29.06.2018 को जमा की गयी का समायोजन स्पॉट

बिल के डाटा को समय पर बिलिंग सिस्टम में अपलोड न होने के कारण माह अगस्त का स्पॉट बिल जारी होने के बाद हो पाया। अतः अनावेदक द्वारा शिकायत के निराकरण में फोरम के समक्ष प्रस्तुत की गयी जानकारी के अनुसार माह जुलाई 2018 में कम्प्यूटर सिस्टम में लगायी गयी आंकलित खपत 199 यूनिट हटाई जाकर माह अगस्त 2018 में आयी इक्ट्ठी यूनिट 741 को दो माहों में समविभाजित कर बिलिंग संशोधित करते हुये उपभोक्ता को माह सितम्बर बिल्ड़ अक्टूबर 2018 के बिल में राशि रूपये 1664/– का क्रेडिट दिये जाने संबंधी कार्यवाही फोरम द्वारा मान्य करने योग्य पायी। आवेदक द्वारा भी अनावेदक द्वारा की गयी कार्यवाही से अपनी संतुष्टि एवं सहमति व्यक्त की गयी।

अतः फोरम द्वारा प्रकरण समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 18.10.2018
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस.मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य (राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 30/2018

12.06.2018

श्रीसुखवीर सिंह कुशवाह पुत्र श्री रामनाथ,
भावना मेरिज वाटिका के पास,गांधी नगर, आर ब्लॉक फलबाग, ग्वालियर (म.प्र) **(आवेदक)**

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग, उत्तर),
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.) **(अनावेदक)**

आदेश

आज दिनांक16.10.2018 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी./30दिनॉक 12.06.18 को पंजीकृत कर दिनांक13.07.18, 09.08.18, 06.09.18 एवं 12.10.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया किआपके कार्यालय से उक्त कनेक्शन(सर्विस कने. क्र. 2424206–17–168–9598892000) घरेलू उपयोग हेतु लिया गया था किन्तु, उक्त कनेक्शन का बिल मुझे माह अप्रैल 17 से लगातार अभी तक कमर्शियल की दर से दिया जा रहा हैं, जो नियमानुसार उचित नहीं हैं। अतः आपसे निवेदन हैं कि मेरे उक्त सर्विस कनेक्शन के बिलों में सुधार किया जाकर पुनरीक्षित बिल माह अप्रैल 17 से अभी तक प्रदान किये जाने हेतु आदेश प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि मैं, उक्त बिलों का भुगतान कर सकूॅ।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा दिनांक 12.10.18 को प्रकरण में कथन किया गया कि प्रकरण में प्रबंधक फूलबाग जोन द्वारा जॉच कराई गई एवं अगवत कराया गया कि उक्त विद्युत संयोजन को त्रुटिवश 04/17 से 02/18 तक गैर घरेलू दर से बिलिंग की गयी, जिसमें माह 03/2018 से पुनः घरेलू दर से बिलिंग की जा रही हैं। उपभोक्ता द्वारा मुख्य मंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के तहत आवेदन किया गया। इस हेतु उसके द्वारा आवश्यक दस्तावेज जैसे श्रमिक कार्ड 147398721 जोन कार्यालय में जमा कराया गया।

इसके पश्चात उक्त योजना के तहत 06/2018 तक की स्थिति में राशि रूपये 21776/– (20552/– + 1224/–) माफ की गयी। इस प्रकार उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण किया जा रहा हैं। अतः शिकायत को निराकृत मानने का कष्ट करें।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–** आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि मेरा विद्युत संयोजन गांधी नगर, भावना मेरिज वाटिका के पास घरेलू श्रेणी का लिया गया था, जो लगभग 2011 में लिया गया था, जिसके विद्युत देयक घरेलू श्रेणी के अप्रैल 2017 तक जारी होते रहें, जिनका भुगतान हमारे द्वारा किया जाता रहा। अप्रैल 2017 के बाद मेरे विद्युत संयोजन को अनावेदक द्वारा गैर घरेलू श्रेणी का मानते हुए विद्युत देयक दिये जा रहे हैं। माह मई 2017 के बाद से हमारे द्वारा गैर घरेलू श्रेणी के विद्युत देयकों का भुगतान नहीं किया गया। वर्तमान में विद्युत संयोजन को जुलाई–अगस्त 2017 के लगभग पोल से काट दिया गया हैं। अतः आपसे निवेदन हैं कि मेरे विद्युत संयोजन को गैर घरेलू श्रेणी से घरेलू श्रेणी में विद्युत देयक दिये जायें तथा मेरा विद्युत संयोजन को जोड़ा जायें, ताकि मैं उसके विद्युत बिलों का भुगतान कर सकूॅ।

अनावेदक द्वारा प्रकरण में त्रुटिवश अवधि 04/17 से 02/18 तक गैर घरेलू दर से बिलिंग हुई हैं, जिसे 03/2018 से पुनः घरेलू दर से बिलिंग की जा रही हैं। उपभोक्ता द्वारा मुख्य मंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के तहत आवेदन किया गया। इस हेतु उसके द्वारा श्रमिक कार्ड क्रमांक 147398721 जोन कार्यालय में जमा कराया गया। उसके पश्चात उक्त योजना के तहत जून 2018 की स्थिति में राशि रूपये 21776/– (20552/– + 1224/–) की राशि माफ की गयी। इस प्रकार उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण किया जा रहा हैं। अतः शिकायत को निराकृत मानने का कष्ट करें।

फोरम द्वारा विवेचना उपरांत यह पाया गया कि आवेदक श्री सुखवीर सिंह कुशवाह के नाम से घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2424206–17–168–9598892000 भावना मेरिज वाटिका के पास, गांधी नगर, आई ब्लॉक, ग्वालियर में स्थित हैं, जिसे आवेदक ने वर्ष 2011 में लिया गया था, जिसके विद्युत देयक घरेलू श्रेणी में अप्रैल 2017 तक जारी किये गये, का भुगतान भी आवेदक ने नियमित रूप से किया हैं, लेकिन माह अप्रैल 2017 से फरवरी 2018 तक की अवधि में आवेदक के गैर घरेलू श्रेणी के विद्युत देयक जारी किये गये, जिनका भुगतान आवेदक द्वारा नहीं किया गया। विद्युत देयकों के भुगतान न करने के कारण अनावेदक द्वारा माह जुलाई अगस्त 2017 में विद्युत संयोजन को पोल से विच्छेदित कर दिया गया हैं। अतः फोरम से निवेदन हैं कि मुझे जारी गैर घरेलू श्रेणी के विद्युत देयक माह अप्रैल 2017 से फरवरी 2018 तक को घरेलू श्रेणी में संशोधित कर दिये जायें ताकि मैं उनका भुगतान कर सकूॅ तथा मेरा विद्युत संयोजन वापस जुड़वाया जायें। यही फोरम से निवेदन हैं।

आवेदक को जारी गैर घरेलू श्रेणी के विद्युत देयक माह अप्रैल 2017 से फरवरी 2018 तक की अवधि के घरेलू श्रेणी में संशोधन उपरांत मार्च 2018 से घरेलू श्रेणी के विद्युत

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

देयक जारी किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के तहत आवेदक द्वारा आवेदन देने पर माह जून 2018 की स्थिति में राशि रूपये 21776/– माफ की गई, जिसकी पुष्टि प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से होती हैं। इस प्रकार अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत का आंशिक रूप से निराकरण कर दिया गया हैं। अनावेदक को निर्देशित किया जाता हैं कि वह आवेदक के विद्युत संयोजन को जोड़कर उसका विद्युत प्रदाय आदेश मिलने की दिनांक के तीन दिवस में नियमानुसार चालू कर फोरम को सूचित करें।

इस प्रकार आवेदक की शिकायत निराकृत प्रकरण समाप्त किया जाता हैं। अनावेदक पालन प्रतिवेदन की एक प्रति आवेदक को प्रेषित करते हुए एक प्रति फोरम को भेजना सुनिश्चित करें।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 16/10/2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री सुखवीर सिंह कुशवाह पुत्र श्री रामनाथ,
भावना मेरिज वाटिका के पास, गांधी नगर, आर ब्लॉक
फूलबाग, ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 16 / 10 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–30 / 2018) दिनांक12.06.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 16 / 10 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग, उत्तर), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–30 / 2018 दिनांक 12.06.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 16 / 10 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 43/2018

16.07.2018

श्री राकेश श्रीवास्तव, मेहंदी वाला मकान,
कोटा वाला मोहल्ला,लोहा मण्डी,
जैन मन्दिर के पास,
ग्वालियर (म.प्र)

(आवेदक)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग, उत्तर),
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.)

(अनावेदक)

आदेश

आज दिनांक17.10.2018 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी./43दिनॉक 16.07.18 को पंजीकृत कर दिनांक 10.08.18,06.09.18 एवं12.10.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :**—आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया किप्रार्थी के यहॉ सिंगल फेस विद्युत कनेक्शन हैं। प्रार्थी की रोजना विद्युत खपत बमुश्किल 3 से 4 यूनिट हैं। बावजूद इसके आपके विभाग द्वारा काफी समय से मनमाने ढंग से विद्युत बिल भेजे जा रहे हैं, जिसमें 100 से 250 आंकलित व मीटर खपत जबरन दर्शाई जा रही हैं। माहवार विवरण निम्नानुसार हैं:—
माह फरवरी 17, आंकलित खपत 100 यूनिट, मार्च 17, आंकलित खपत 100 यूनिट, अप्रैल 17, आंकलित खपत 100 यूनिट, मई 17, आंकलित खपत 100 यूनिट, जून 17, आंकलित खपत 153 यूनिट, जुलाई 17, आंकलित खपत 180 यूनिट, अगस्त 17, आंकलित खपत 205 यूनिट, सितम्बर 17, आंकलित खपत 205 यूनिट, अक्टूबर 17, आंकलित खपत 220 यूनिट, नवम्बर 17, आंकलित खपत 226 यूनिट, नवम्बर 17, आंकलित खपत 226 यूनिट, दिसम्बर 17, आंकलित खपत 217 यूनिट, जनवरी 18, आंकलित खपत 221 यूनिट, फरवरी 18, आंकलित खपत 221 यूनिट,मार्च 18, आंकलित खपत 280 यूनिट, अप्रैल 18, आंकलित खपत 241 यूनिट, मई 18, आंकलित खपत 247 यूनिट, जून 18,

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

आंकलित खपत 256 यूनिट, अतः श्रीमान जी से विनम्र आग्रह हैं कि मनमानी तरीके से दी गई आंकलित व मीटर खपत हटाकर बिल सुधार करने की कृपा करें ताकि प्रार्थी पूर्व की तरह समय पर बिल जमा कर सकें।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा दिनांक 12.10.18 को प्रकरण में कथन किया गया कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत दर्ज करायी गयी हैं कि उसके द्वारा एक घरेलू विद्युत संयोजन लिया गया, जिसका सर्विस क्रमांक 1643214285 के विरूद्ध माह फरवरी 2017

से अगस्त 2018 तक आंकलित खपत युक्त देयक जारी किये गये, जिन्हें संशोधित करने का अनुरोध किया गया हैं। प्रकरण में प्रबंधक तानसेन जोन जॉच करायी गयी तथा चैक रिपोर्ट दिनांक 04.09.2018 बनवायी गयी, जिसके अनुसार उपभोक्ता का लोड 1238 वॉट तथा चैक रीडिंग 182 पायी गयी। दिनांक 09.08.2018 को उपभोक्ता के परिसर में स्थापित पुराना मीटर जिसका क्रमांक 700950 हैं, बदला गया। उक्त मीटर के स्थान पर नया मीटर जिसका क्रमांक 2673963 हैं, दिनांक 09.08.2018 को एस.आर. 02 पर स्थापित किया गया। प्रकरण की निराकरण की दृष्टि से चैक रिपोर्ट तथा नये मीटर की रीडिंग एवं पुराने मीटर की तीन माह की औसत खपत (160+202+103 = 465/3) को दृष्टिगत रखते हुए 155 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर अवधि 10/17 से लेकर 08/18 तक के दयेक संशोधित किये जा रहे हैं तथा माह 10/18 में राशि 6299/– का समायोजन किया जा रहा हैं। इस प्रकार शिकायत का निराकरण किया जा रहा हैं। अतः शिकायत निराकृत मानने का कष्ट करें।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–** आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि आवेदक द्वारा कथन किया गया कि संयोजन क्रमांक 1643214285 हैं, जो 2014 में लिया गया था, जिसके विद्युत मीटर की रीडिंग न लेकर आंकलित खपत के बिल दिये जा रहे हैं। माह फरवरी 2017 से अभी तक दिये जा रहे हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि माह फरवरी 2017 से आज दिनांक तक मेरे विद्युत बिलों में लगाई गई आंकलित खपत को हटाकर बिजली के बिलों में संशोधन किया जायें। यदि मीटर खराब हो तो उसे बदला जावें एवं मीटर बदलने के बाद मीटर में दर्ज खपत के अनुसार विद्युत देयक दिये जावें। मेरा विद्युत मीटर दिनांक 09.08.2018 को बदल दिया गया हैं। मेरे विद्युत बिलों में लगाई गई आंकलित खपत को हटाकर नियमानुसार मेरे विद्युत बिलों को संशोधित करके मुझे बिल दिया जावें ताकि मैं अपना बिल भर सकूॅ। यही फोरम से निवेदन हैं।

अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि प्रकरण में प्रबंधक तानसेन जोन द्वारा जॉच कराई गई एवं अवगत कराया गया कि दिनांक 04.09.2019 को उपभोक्ता के परिसर का भौतिक निरीक्षण किया जाकर जॉच रिपोर्ट बनाई गई, जो संलग्न हैं। उक्त रिपोर्ट के अनुसार लोड 1238 वॉट तथा नये मीटर में रीडिंग 0182 पायी गयी।

इसके पूर्व दिनांक 09.08.2018 को उपभोक्ता के परिसर में स्थपित पुराना मीटर जिसका

क्रमांक 700950 हैं, बदला गया। उसके स्थान पर नया मीटर जिसका क्रमांक 2673963 मेक ऐवन की एस.आर. 02 पर स्थापित किया गया। प्रकरण की निराकरण की दृष्टि से चैक रिपोर्ट का लोड, नये मीटर की रीडिंग तथा पुराने मीटर की तीन माह की औसत खपत (160+202+103 = 465/3) 155 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर अवधि 10/17 से लेकर 09/18 तक के दयेक संशोधित किये जा रहे हैं तथा माह 10/18 में राशि 6299/– का समायोजन किया जा रहा हैं। इस प्रकार शिकायत का निराकरण किया जा रहा हैं। अतः शिकायत निराकृत मानने का कष्ट करें।

फोरम द्वारा प्रकरण की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि श्री राकेश श्रीवास्तव के नाम से एक घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2424205–24–20–1643214285 मेहंदी वाला मकान, कोटा वाला मोहल्ला, जैन मन्दिर ग्वालियर में स्थित हैं। यह विद्युत संयोजन वर्ष 2014 में लिया गया था, जिसके विद्युत बिल अक्टूबर 2017 से सितम्बर 2018 तक आंकलित खपत लगाकर अनावेदक को दिये जा रहे है। यदि मीटर खरबा है तो मीटर बदला जायें एवं नये मीटर में दर्ज खपत अनुसार आंकलित खपत हटाकर विद्युत देयक संशोधित किये जायें। फोरम से यही निवेदन हैं।

आवेदक का विद्यत मीटर दिनांक 09.08.2018 को बदल दिया गया हैं और नया मीटर क्रमांक 2673963 हैं। पुराना मीटर क्रमांक 700950 हैं, जिसका डिस्प्ले फैल हैं। इस कारण मीटर खराब हैं। अतः विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 8 की कण्डिका 8.35 (ब) के अनुसार मीटर खराब रहने की अवधि में विद्युत मीटर खराब होने के पूर्व के 3 माह की मीटर में दर्ज विद्युत खपत का औसत प्रतिमाह विद्युत खपत लेकर विद्युत देयक जारी किये जाने चाहिये। अतः अनावेदक द्वारा मीटर खराब होने के पूर्व मीटर में दर्ज तीन माह जुलाई 2017 में 160 यूनिट, अगस्त 2017 में 202 यूनिट एवं सितम्बर 2017 में 103 यूनिट का औसत 155 यूनिट प्रतिमाह खपत लेकर माह अक्टूबर 2017 से सितम्बर 2018 की अवधि में मीटर खराब रहा। इस अवधि में विद्युत देयक 155 यूनिट प्रतिमाह खपत लेकर देयक संशोधित करने के उपरांत आवेदक को रूपये 6299/– की क्रेडिट समायोजन किया जाना अनावेदक द्वारा स्वीकार किया गया हैं। जिस पर आवेदक ने फोरम के समक्ष संतुष्टि प्रदान करते हुए अपनी शिकायत के निराकरण किये जाने पर सहमति दी तथा कथन किया कि आगे उन्हें और कुछ नहीं कहना है।

चूँकि अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत का नियमानुसार विधि संगत निराकरण कर दिया गया हैं, जिससे आवेदक द्वारा भी अपनी सहमति एवं संतुष्टि व्यक्त हैं। अतः फोरम द्वारा शिकायत निराकृत कर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित

दिनांक : 17 / 10 / 2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)
पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल
(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री राकेश श्रीवास्तव, मेहंदी वाला मकान,
कोटा वाला मोहल्ला, लोहा मण्डी,
जैन मन्दिर के पास,
ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 17 / 10 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–43 / 2018) दिनांक16.07.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 17 / 10 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग, उत्तर), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–43 / 2018 दिनांक 16.07.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 17 / 10 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 44/2018

16.07.2018

श्री राजाराम आर्य
रेशम मिल, नई लाईन, **(आवेदक)**
मं.नं. 315, पोस्ट बिरला नगर
ग्वालियर (म.प्र)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग, उत्तर), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक17.10.2018 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी./44दिनॉक 16.07.18 को पंजीकृत कर दिनांक 10.08.18,06.09.18 एवं12.10.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :**—आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया किप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत शिकायत क्रमांक 232 दिनांक 10.08.17 का अवलोकन करें, जिसे दो माह से अधिक का समय हो चुका हैं, किन्तु आज दिनांक तक बंद मीटर बदलकर नहीं लगाया गया हैं और बिल एवरेज के आधार पर दिया जा रहा हैं, जो मेरी माह की खपत से कई गुना ज्यादा हैं। मैंने अपने लंबित देयक का 50 प्रतिशत 19100/— दिनांक 09.08.2017 को नियमानुसार जमा कर चुका हूॅ तथा देयक की शेष राशि बिल समायोजन के उपरांत जमा करा दी जायेगी। अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि मेरा बंद मीटर अतिशीघ्र बदलने की कृपा करें अन्यथा प्रार्थी के द्वारा उपभोक्ता फोरम में प्रकरण दायर कर दिया जायेगा।

5. **अनावेदक का कथन :**—अनावेदक द्वारा दिनांक 12.10.18 को प्रकरण में कथन किया गया कि उपभोक्ता की शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण में प्रबंधक तानसेन जोन द्वारा जॉच कराई गयी, जिसमें उनके परिसर का निरीक्षण करने पर कुल भार 1525 वॉट तथा चैक रीडिंग 1151 पायी गयी।

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

प्रबंधक तानसेन जोन द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उपभोक्ता द्वारा वर्तमान में चल रही मुख्यमंत्री संबल योजना 2018 के अन्तर्गत भाग लिया गया, जिसके तहत उपभोक्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेज (श्रमिक कार्ड क्रमांक 193928207) प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर उपभोक्ता की जून 2018 में कुल बकाया राशि रूपये 37753/– (जिसमें एरियर राशि 33384/– तथा 4369/–) माफ की गयी। इस प्रकार उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण किया गया। अतः शिकायत निराकृत मानने का कष्ट करें।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–** आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि

आवेदक ने कथन किया कि मेरा विद्युत कनेक्शन 2424205–96–5–8045292000 घरेलू कनेक्शन रेशम मिल नई लाईन बिरला नगर ग्वालियर में स्थित हैं। मैंने दिनांक सितम्बर 2016 से मेरा विद्युत मीटर खराब हो गया था, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा बिजली विभाग में की गई थीं, लेकिन मेरा विद्युत मीटर नहीं बदला गया एवं आंकलित खपत के विद्युत बिल दिये गये, जिनका भुगतान मेरे द्वारा किया जाता रहा हैं। अनावेदक द्वारा उसके उपरांत और अधिक आंकलित खपत लगाकर बिजली के बिल दिये जाते रहें, जिसका भुगतान कुछ माह तक मेरे द्वारा नहीं किया गया। इसके पश्चात मेरे द्वारा बिजली विभाग में बिल सुधारने हेतु निवेदन किया तो बताया गया कि वर्तमान में बकाया राशि का 50% भुगतानकर दीजियेगा। उसके बाद आपका मीटर बदल दिया जावेगा। इसके पश्चात 4 माह तक मेरा खराब विद्युत मीटर नहीं बदला गया और आंकलित खपत के बिजली के बिल दिये जाते रहें। मेरा विद्युत मीटर 01.12. 2017 को बदला गया। इसके पश्चात मुझे मीटर में दर्ज विद्युत खपत के साथ आंकलित खपत भी लगाकर बिजली के बिल दिये गये, जिसका भुगतान मेरे द्वारा नहीं किया गया। अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि मुझे आंकलित खपत लगाकर दिये गये देयकों में से आंकलित खपत को हटाकर नियमानुसार बिजली के बिलों में संशोधन कर बिजली के बिल दिलाया जावें ताकि मैं उनका भुगतान कर सकूॅ।

अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि प्रकरण में प्रबंधक तानसेन जोन द्वारा जॉच की गयी एवं अवगत कराया गया कि उपभोक्ता द्वारा वर्तमान में चल रही मुख्यमंत्री संबल योजना 2018 के अन्तर्गत आवेदन किया तथा इसके लिये आवश्यक दस्तावेज जैसे श्रमिक कार्ड नं. 193928207 प्रस्तुत किया गया, इसके आधार पर उपभोक्ता को जून 2018 की स्थिति में कुल बकाया राशि रूपये 37753/– (33384/–(E.C.) + 4369/–(S.C.)) माफ करते हुए उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं। अतः प्रकरण को समाप्त करने का कष्ट करें।

फोरम द्वारा विवेचना उपरांत यह पाया गया कि आवेदक श्री राजाराम आर्य के नाम से एक घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2424205–96–5–8045292000 तथा संयोजित विद्युत भार 1000 वॉट, रेशम मिल, नई लाईन म.नं. 315 पोस्ट बिरला नगर, ग्वालियर में हैं पर स्थापित विद्युत मीटर खराब हो जाने के कारण विद्युत मीटर न बदलकर

आंकलित खपत लगाकर माह फरवरी 17 से बिल दिये जाते रहें। माह मई 2017 से 200 एवं 300 यूनिट आंकलित खपत लगाकर विद्युत देयक माह दिसम्बर 2017 तक दिये गये। दिनांक 09.08.2017 को कुल बिल राशि की 50% राशि रूपये 19100/– का भुगतान करने के बाद दिनांक 1 दिसम्बर 2017 को मीटर बदला गया।

आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश शासन द्वारा लागू मुख्यमंत्री संबल योजना 2018 के तहत आवेदक द्वारा एक आवेदन, इस योजना के लाभ हेतु आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ अनावेदक के कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत आवेदक मुख्यमंत्री संबल योजना 2018 के लिये पात्र पाये जाने पर अनावेदक ने आवेदक को इस योजना का लाभ देते हुए माह जून 2018 की स्थिति में कुल बकाया राशि रूपये 37753/– (बकाया राशि 33384/– तथा 4369/– रूपये सरचार्ज) माफ की गई हैं, जिसकी पुष्टि प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से भी होती हैं।

अतः आवेदक की शिकायत निराकृत होकर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए। पालन प्रतिवेदन आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में एक प्रति आवेदक को प्रेषित करते हुए एक प्रति फोरम को भी भेजा जाना सुनिश्चित करें।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 17/10/2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री राजाराम आर्य
रेशम मिल, नई लाईन,
मं.नं. 315, पोस्ट बिरला नगर
ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 17 / 10 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–44 / 2018) दिनांक16.07.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 17 / 10 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग, उत्तर), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–44 / 2018 दिनांक 16.07.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 17 / 10 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -(ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 46/2018

16.07.2018

श्री रमेश चन्द्र बाथम पुत्र श्री सी.एल. बाथम,
ओम सनग्रेस विला, खिड़की मोहल्ला, फोर्ट रोड, **(आवेदक)**
सूरज नमकीन के पास, ग्वालियर (म.प्र)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग, उत्तर), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक18.10.2018 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी./46दिनॉक 16.07.18 को पंजीकृत कर दिनांक 10.08.18,06.09.18 एवं12.10.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :-**आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया किमैंने अपने द्वारा पूर्व में अस्थाई विद्युत कनेक्शन लिया था, जिसको कि पूर्व में बंद किया जा चुका हैं। अब मैंने नवीन स्थाई विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया हैं। चूँकि अस्थाई कनेक्शन की राशि का समायोजन नवीन कनेक्शन में नहीं हो पाया हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि मेरी अस्थाई कनेक्शन की बाकी राशि का समायोजन स्थाई कनेक्शन में करने की कृपा करें।

5. **अनावेदक का कथन :-**अनावेदक द्वारा दिनांक 12.10.18 को प्रकरण में कथन किया गया कि उपभोक्ता की शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण में प्रबंधक तानसेन जोन द्वारा जॉच कराई गयी जिसमें अवगत कराया गया कि उपभोक्ता द्वारा मकान निर्माण हेतु 1 किलोवॉट का अस्थाई कनेक्शन लिया गया, इस कार्य हेतु उनके द्वारा राशि रूपये 5125/- (5000/- + 125/-) रसीद क्रमांक 25491/348 दिनांक 07.10.2008 से जमा करायी गयी। उपभोक्ता को दिनांक 07.10.2008 को एक अस्थाई विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया गया, जिसमें उसके परिसर में एक मीटर स्थापित किया गया, जिसकी

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

रीडिंग 3984 थीं। इसके पश्चात उपभोक्ता द्वारा 156 यूनिट के देयक राशि 1174/– रूपये थीं, के विरूद्ध 1580/– रूपये रसीद क्रमांक 2557/133, दिनांक 10.01.2009 से जमा कराये गये का भुगतान किया गया। तदोपरांत 355 यूनिट का देयक जिसकी राशि 2038/– रूपये थीं, उसे उपभोक्ता द्वारा रसीद क्रमांक 25758/126, दिनांक 17.04.2009 से जमा करायी गयी। उपभोक्ता द्वारा उक्त कनेक्शन से संबंधित शेष बची हुई वापस मांगी गयी हैं। शिकायतकर्ता द्वारा नियमानुसार अस्थाई विद्युत संयोजन को प्राप्त करते समय जो राशि जमा करायी गयी, उसकी मूल प्रति प्रस्तुत करें, जिससे आगामी कार्यवाही संपादित की जा सकें। इस प्रकार उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण किया गया। अतः शिकायत निराकृत मानने का कष्ट करें।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–** आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि मैंने अपने नये भवन निर्माण के लिये विनय नगर जोन कार्यालय से अस्थाई कनेक्शन लिया गया था, जिसकी सुरक्षा निधि 5000/– रूपये जमा की गई थीं। भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद मैंने स्थाई कनेक्शन ले लिया एवं अस्थाई विद्युत कनेक्शन विच्छेदित करवा दिया था। जिसकी सुरक्षा निधि आज तक न तो विद्युत बिलों में समायोजित की गई और न ही वापस की गई हैं। अतः सुरक्षा निधि वापस करने हेतु माननीय फोरम से निवेदन हैं।

अनावेदक द्वारा दिनांक 12.10.2018 को प्रकरण में कथन किया गया कि उपभोक्ता की शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण में प्रबंधक तानसेन जोन द्वारा जॉच कराई गयी एवं अवगत कराया गया कि उपभोक्ता द्वारा मकान निर्माण हेतु 1 किलोवॉट का अस्थाई कनेक्शन लिया था, इस हेतु आवेदक द्वारा राशि रूपये 5125/– (5000/– + 125/–) रसीद क्रमांक 25491/348 दिनांक 07.10.2008 से जमा करायी गयी। उपभोक्ता को एक अस्थाई विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया गया। इस हेतु मीटर स्थापित किया गया, जिसकी रीडिंग 3984 थीं। इसके पश्चात उपभोक्ता द्वारा 156 यूनिट के देयक राशि 1174/– रूपये थीं, जिसके विरूद्ध 1580/– रूपये रसीद क्रमांक 2557/133, दिनांक 10.01.2009 से जमा कराये गये। इसके पश्चात 355 यूनिट का देयक जिसकी राशि 2038/– रूपये थीं, उपभोक्ता द्वारा रसीद क्रमांक 25758/126, दिनांक 17.04.2009 से जमा करायी गयी। उपभोक्ता द्वारा शेष राशि की मांग की गयी हैं। उस बाबत् लेख हैं कि नियमानुसार अस्थाई विद्युत संयोजन को प्राप्त करते समय जो राशि जमा करायी गयी थीं, उसकी मूल प्रति प्रस्तुत करने पर अगली कार्यवाही की जावेगी। आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया कि अनावेदक द्वारा मेरी शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं। किये गये निराकरण से मैं सहमत एवं संतुष्ट हूॅ। अतः शिकायत निराकृत मानने का कष्ट करें।

फोरम द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने तथा प्रकरण में किये गये कथनों की विवेचना उपरांत यह पाया गया कि आवेदक ने अपने मकान के

निर्माण हेतु एक अस्थाई विद्युत संयोजन 1 किलोवॉट विद्युत भार के लिये दिनांक 07.10.2008 में राशि रूपये 5125/– (5000/– + 125/–) जमा किये गये जिसकी रसीद क्रमांक 25491/348 हैं।आवेदक का विद्युत संयोजन भी दिनांक 07.10.2008 को उसके परिसर में एक विद्युत मीटर स्थापित कर जिसकी प्रारंभिक रीडिंग 3984 थीं, दिया गया। आवेदक के मकान का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर इसी परिसर में एक घरेलू स्थायी विद्युत संयोजन क्रमांक 39425407–58–20–1426497 सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण कर लिया गया था तथा अस्थाई विद्युत संयोजन के सभी विद्युत देयकों का भुगतान कर उसे दिनांक 12.07.2009 को विच्छेदित करा दिया गया था, लेकिन अस्थाई विद्युत संयोजन की अमानत राशि रूपये 5000/– का समायोजन स्थाई विद्युत संयोजन क्रमांक 39425407–58–20–1426497 के विद्युत देयकों में किये जाने या नगद राशि वापस करने का अनावेदक से निवेदन किया गया था, जिसे अनावेदक ने न तो समायोजन किया और न ही राशि वापिस लौटाई गई। अतः अस्थाई संयोजन की अमानत राशि रूपये 5000/– का विद्युत बिलों में समायोजित कराई जावें या नगद वापिस दिलाई जाने का निवेदन किया गया।

आवेदक द्वारा अस्थाई विद्युत संयोजन के विद्युत देयकों का भुगतान राशि रूपये 1580/–, रसीद क्रमांक 2557/133, दिनांक 10.01.2009 एवं राशि 2038/– रूपये दिनांक 17.04.2009, रसीद क्रमांक 25758/126, से भुगतान करना अनावेदक द्वारा स्वीकार किया गया तथा यह भी फोरम के समक्ष लिखित एवं मौखिक में यदि आवेदक नियमानुसार अस्थाई विद्युत संयोजन को प्राप्त करते समय जो राशि जमा कराई गई थीं, उसकी रसीद की मूल प्रति जोन कार्यालय में प्रस्तुत करें तो अमानत राशि वापस करने की कार्यवाही की जाना स्वीकार किया गया हैं। अनावेदक की इस कार्यवाही पर आवेदक ने फोरम के समक्ष अपनी शिकायत के निराकरण से संतुष्ट होकर सहमति प्रकट की हैं।

चूॅकि अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत का विधि संगत निराकरण किये जाने हेतु आवेदक यदि आवेदक अस्थाई विद्युत संयोजन की अमानत राशि जमा करने की रसीद की मूल प्रति उसके कार्यालय में उपलब्ध करा दी जाती हैं तो अमानत राशि का समायोजन अनावेदक द्वारा कर दिया जाना स्वीकार किया गया हैं, जिससे आवेदक द्वारा भी अपनी सहमति एवं संतुष्टि व्यक्त की हैं। अतः प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 18/10/2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री रमेश चन्द्र बाथम पुत्र श्री सी.एल. बाथम,
ओम सनग्रेस विला, खिड़की मोहल्ला, फोर्ट रोड,
सूरज नमकीन के पास, ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 18 / 10 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–46 / 2018) दिनांक16.07.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 18 / 10 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग, उत्तर), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–46 / 2018 दिनांक 16.07.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 18 / 10 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 62/2018

10.09.2018

श्री नाथूराम दुबे पुत्र श्री छोटेलाल,
विनय नगर सेक्टर–3, पत्रकार कॉलोनी **(आवेदक)**
ग्वालियर (म.प्र)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग, उत्तर), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक20.10.2018 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।
2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी./62दिनॉक 10.09.18 को पंजीकृत कर दिनांक 12.10.18 को सुना गया।
3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।
4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया किप्रार्थी नाथूराम दुबे, विनय नगर, सेक्टर 3 पत्रकार कॉलोनी, ग्वालियर का मीटर क्र. 3487024 एवं पोल क्र. 601422020011126 अत्यधिक तेज गति से चल रहा हैं, जो खराब हो गया हैं। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी दो बार मीटर बदलने का आवेदन दिया था, जिसके 50 /– रू. जॉच के नाम पर जमा कराये गये हैं, लेकिन आज दिनांक तक प्रार्थी का मीटर नहीं बदला गया हैं। जिसके कारण प्रार्थी को प्रतिमाह अधिक रीडिंग आने से आर्थिक नुकसान हो रहा हैं। अतः श्रीमान जी से विनय हैं कि प्रार्थी का घरेलू मीटर बदलने की कृपा करें।
5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा दिनांक 12.10.18 को प्रकरण में कथन किया गया कि उपभोक्ता की शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण में प्रबंधक विनयनगर जोन द्वारा जॉच कराई गयी तथा उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि उपभोक्ता का मीटर, जिसका क्रमांक 3487024 मेक ऐवन दिनांक 28.09.18 को बदला गया तथा उक्त मीटर के स्थान पर परिसर में नया मीटर जिसका क्र.0300203549 मेक जीनस एस. आर. 002 पर स्थापित किया गया। पुरान मीटर लेब में चैक हेतु भेजा गया। उपभोक्ता द्वारा यह भी लिखकर दिया गया हैं कि उसकी समस्या का निराकरण किया हैं। अतःवह अपनी शिकायत वापस लेता हैं। इस प्रकार उपभोक्ता की शिकायत का निराकरणकिया गया। अतः शिकायत निराकृत मानने का कष्ट करें।

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–** आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि 12.10.18 को आवेदक की ओर से उपस्थित उनके प्रतिनिधि श्री नाथूराम दुबे द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया गया हमारा मीटर बदल दिया गया हैं एवं हमारी समस्या का निराकरण हो गया हैं। अतः हमारी शिकायत समाप्त करने की कृपा करें।

अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि उपभोक्ता की शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण में प्रबंधक विनयनगर जोन द्वारा जॉच कराई गयी तथा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के परिसर में पूर्व में स्थापित मीटर, जिसका क्र. 3487024 मेक ऐवन हैं रीडिंग 18849 पर दि. 28.09.18 को बदला गया तथा उसके स्थान नया मीटर जिसका क्र. 0300203549 मेक जीनस एस. आर. 002 पर लगाया गया। पुराना मीटर जॉच हेतु लेब में भेजा जा रहा हैं, रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, किन्तु उपभोक्ता द्वारा यह लिखकर रिपोर्ट पर दिया गया हैं कि मेरी शिकायत का निराकरण हो गया हैं। अतः वह शिकयत वापस लेता हैं। इस प्रकार उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण हो गया हैं। अतः प्रकरण समाप्त करने का कष्ट करें।

फोरम द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन करने तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की विवेचना करने पर पाया गया कि आवेदक श्री नाथूराम दुबे के नाम से एक घरेलू विद्युत संयोजन क्र. 2424204–3–3–2641203000 संयोजित विद्युत भार 1000 वॉट विनय नगर, सेक्टर 3 ग्वालियर में स्थित हैं, पर स्थापित विद्युत मीटर अत्यधिक तेज गति से चल रहा हैं, जो खराब हो गया हैं, जिसके कारण प्रति माह अधिक रीडिंग निकलने से अधिक खपत आ रही हैं। इसलिये रूपये 50/– जमा कर विद्युत मीटर टेस्ट कराया जावें। यदि मीटर खराब हो तो उसे बदलवाने का निवेदन किया गया हैं।

अनावेदक द्वारा दि. 28.09.2018 को आवेदक के परिसर में स्थापित मीटर क्रमांक 3487024 रीडिंग 18849 पर निकाल कर नया मीटर क्र. 03000203549 रीडिंग 0002 पर स्थापित कर दिया गया। पुराने मीटर को निम्नदाब मीटर परीक्षण लेब में परीक्षण हेतु भेजा जा रहा हैं।

इस पर आवेदक ने फोरम के समक्ष कथन किया कि उसका विद्युत मीटर बदल दिया गया हैं एवं उसकी समस्या का निराकरण हो गया हैं। अनावेदक द्वारा शिकायत के निराकरण में की गई कार्यवाही से आवेदक सहमत हैं।

इस प्रकार अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं।

अतः प्रकरण निराकृत समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 20/10/2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री नाथूराम दुबे पुत्र श्री छोटेलाल,
विनय नगर सेक्टर–3, पत्रकार कॉलोनी
ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 20 / 10 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–62 / 2018) दिनांक10.09.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 20 / 10 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग, उत्तर), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–62 / 2018 दिनांक 10.09.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 20 / 10 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 64/2018

10.09.2018

श्रीमती प्रमिला देवी/श्री रामनरेश सिंह भदौरिया,
चौड़े के हनुमान नगर, चार शहर का नाका **(आवेदक)**
ग्वालियर (म.प्र)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग, उत्तर), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक20.10.2018 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी./64दिनॉक 10.09.18 को पंजीकृत कर दिनांक 12.10.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया किमुझे ऐसा ज्ञात हो रहा हैं कि मेरे घर का बिजली मीटर क्रमांक 340718सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा हैं। क्योंकि मेरे द्वारा कम खपत किये जाने के बावजूद मेरे घर का बिजली मीटर ज्यादा खपत दर्शाता हैं। जहॉ मेरे घर में सिर्फ तीन सदस्य ही रहते हैं। मेरे बेटा बाहर रहता हैं और मैं सिर्फ दो सी.एफ.एल. और एक पंखा ही उपयोग में ले रहीं हूॅ। बारिश होने की वजह से कूलर भी उपयोग में नहीं ले रहीं हूॅ। फिर भी मेरा बिजली मीटर ज्यादा खपत दर्शा रहा हैं, जो कि मेरे लिये चिंता का विषय हैं।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा दिनांक 12.10.18 को प्रकरण में कथन किया गया कि प्रकरण में प्रबंधक लधेड़ी जोन कार्यालय द्वारा जॉच कराई गयी एवं उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के परिसर में पूर्व में स्थापित मीटर (सिंगल फेस) जिसका क्रमांक 340781 मेक जीनसथा, रीडिंग 9683 पर बदला गया तथा उसके स्थान पर नया मीटर जिसका क्रमांक 03–0034420 मेक जीनस एस.आर. 002 पर परिसर में स्थापित किया गया। परिसर से निकाला गया पुराना मीटर लेब में जॉच हेतु भेजा जा रहा हैं। इस प्रकार उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण किया गया। अतः शिकायत निराकृत मानने का कष्ट करें।

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–** आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि प्रकरण में प्रबंधक लधेड़ी जोन द्वारा जॉच की गयी एवं अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के परिसर में पूर्व में स्थापित मीटर क्रमांक 340781 मेक जीनस था, रीडिंग 9683 पर बदला गया तथा उसके स्थान पर नया मीटर जिसका क्रमांक 03–00034420 मेक जीनस दिनांक 05.10.2018 को एस.आर. 0002 पर स्थापित किया गया जिसकी रिपोर्ट संलग्न हैं एवं निकाला गया पुराना मीटर जॉच हेतु लेब में भेजा जा रहा हैं। रिपोर्ट आने पर तदानुसार कार्यवाही की जायेगी। अतः माननीय फोरम से निवेदन हैं कि रिपोर्ट आने तक प्रकरण में अगली दिनांक लगाने का कष्ट करें।

अनावेदक की ओर से श्रीमती प्रमिला देवी उपस्थित हुई एवं उन्होंने कथन किया कि हमारा मीटर बदल गया हैं एवं हमारी समस्या का निराकरण हो गया हैं।

फोरम द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन करने तथा किये गये कथनों की विवेचना करने पर यह पाया गया कि आवेदिका श्रीमती प्रमिलादेवी पत्नी श्री रामनरेश भदौरिया के नाम से एक घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2424210–67–1235203000, चौड़े के हनुमान, चार शहर का नाका, ग्वालियर स्थित परिसर में स्थापित विद्युत मीटर क्रमांक 340718 सुचारू रूप से कायम नहीं करने के कारण मीटर में ज्यादा खपत दर्ज हो रही हैं। जबकि घर में विद्युत का इतना उपयोग है ही नहीं। अतः इसे बदल दिया जावें, क्योंकि मीटर ज्यादा खपत दर्शा रहा हैं।

दिनांक 05.10.2018 को आवेदिका के परिसर में स्थापित पुराना मीटर क्रमांक 340781 को अंतिम रीडिंग 9683 पर निकाल कर नया मीटर जिसका क्रमांक 0300034420 प्रारंभिक रीडिंग 0002 पर स्थापित कर दिया गया हैं एवं पुराने मीटर को निम्न दाब विद्युत मीटर परीक्षण प्रयोगशाला ग्वालियर में परीक्षण हेतु भेजा जा रहा हैं।

आवेदिका ने फोरम के समक्ष अपनी शिकायत का अनावेदक द्वारा निराकरण कर दिये जाने पर कथन किया कि उसके परिसर का पुराना मीटर बदल कर नया मीटर लगा दिया गया हैं एवं मेरी समस्या का निराकरण हो गया हैं।

अतः आवेदिका की शिकायत निराकृत कर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए। पालन प्रतिवेदन आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की अवधि में एक प्रति आवेदक को प्रेषित करते हुए एक प्रति फोरम को प्रेषित की जाना सुनिश्चित करें।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 20 / 10 / 2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्रीमती प्रमिला देवी / श्री रामनरेश सिंह भदौरिया,
चौड़े के हनुमान नगर, चार शहर का नाका
ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 20 / 10 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–64 / 2018) दिनांक10.09.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 20 / 10 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग, उत्तर), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–64 / 2018 दिनांक 10.09.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 20 / 10 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 129/2018

28.03.2018

श्री शेलेन्द्र वर्मा, श्रीकृष्ण डेरी फार्म
काली मन्दिर के पास, सिकन्दर कंपू,
लश्कर,
ग्वालियर (म.प्र)

(आवेदक)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग, दक्षिण),
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.)

(अनावेदक)

आदेश

आज दिनांक15.10.2018 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी./129दिनॉक 28.03.18 को पंजीकृत कर दिनांक13.04.18, 10.05.18, 11.05.201807.06.18,12.07.18, 09.08.18, 06.09.18 एवं12.10.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :**—आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि मेरे मॉग N.DL. पर कनेक्शन हेतु उक्त संदर्भित राशि सिकन्दर कंपू जोन पर मांग पत्र दिये जाने पर जमा करवाई गई। कनेक्शन देने हेतु कार्यालय सिकन्दर कंपू ने बताया जाता हैं कि मकान मालिक पर विद्युत बिल का Out Standing हैं। महोदय, यह बात अधिकारियों ने पूर्व में न बताकर रकम जमा करने के बाद बताई, इसमें मेरा क्या दोष है। सिकन्दर कंपू उप महाप्रबंधक कार्यालय पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। आपसे विनम्र अनुरोध करने आया हूँ कि बिना विद्युत के दुकान में रखा दूध, दही, घी जल्दी खराब होने से आर्थिक हानि हो रही हैं। अतः नया कनेक्शन दिये जाने हेतु संबंधित को आदेशित किया जावें अथवा जमा की राशि शीघ्र वापिस की जावें।

5. **अनावेदक का कथन :**—अनावेदक द्वारा दिनांक 11.10.18 को प्रकरण में लिखित कथन किया गया कि उपभोक्ता श्री शेलेन्द्र वर्मा ने मे. श्रीकृष्ण डेयरी के नाम से गैर घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया था। आवश्यक कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण कर दिनांक 02.09.2018 को उपभोक्ता को नवीन गैर घरेलू विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया एवं

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

मीटर क्रमांक 2670004 मेक एवन परिसर पर स्थापित किया गया। प्रकरण उचित निराकरण हेतु महोदय के समस्त प्रस्तुत हैं।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–** आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया किआवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि मेरे द्वारा रसीद क्रमांक MK 393/1756 दिनांक 02.01.18 को गैर घरेलू कनेक्शन हेतु राशि रूपये 4101/– जमा कराये गये थें, परंतु सिकन्दर कंपू जोन कार्यालय में पदस्थ श्री उपाध्याय द्वारा बताया गया कि उसी परिसर में स्थित मकान मालिक श्री विनोद ठाण्डे के घरेलू कनेक्शन पर बकाया राशि चल रही है। इस कारण आपको कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। पहले बकाया राशि जमा करायें। मेरा यह निवेदन हैं कि मुझे राशि जमा कराते समय यह नहीं बताया गया कि पूर्व से उक्त परिसर पर विद्युत बिलों की राशि बकाया हैं। मेरा यह निवेदन हैं कि मुझे कनेक्शन दिलवाया जायें। मैं भविष्य में आने वाले विद्युत बिलों का नियमित भुगतान करने हेतु तैयार हूॅ।

अनावेदक द्वारा दिनांक 09.08.18 को कथन किया गया कि उपभोक्ता जिस परिसर में श्रीकृष्ण डेयरी के नाम से गैर घरेलू विद्युत कनेक्शन लेना चाहता हैं, उस परिसर में श्री विनोद ठांडे एवं श्री राजू ठांडे के नाम से सतर्कता टीम द्वारा नवम्बर 17 में धारा 135 के अन्तर्गत प्रकरण क्रमांक 102337/38 एवं 102337/39 दिनांक 17.11.17 को बनाये गये थें, जिसकी बकाया राशि 14839/– रूपये उपभोक्ता द्वारा जमा नहीं की गई हैं एवं प्रकरण स्पेशल कोर्ट एम.पी.ई.बी. में चल रहा हैं।

दिनांक 12.10.2018 को अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि आवेदक श्री शेलेन्द्र वर्मा द्वारा नया गैर घरेलू विद्युत कनेक्शन का आवेदन कार्यालय में देने पर दिनांक 02.09.18 को मीटर क्रमांक 2670007 मेक एवन स्थापित कर कनेक्शन प्रदाय कर दिया गया हैं। जिस परिसर में यह विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया गया हैं, उसमें पूर्व में श्री राजू ठाण्डे के नाम से एक कनेक्शन स्थापित था, जिस पर विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत प्रकरण बनाया गया था, जिसकी बकाया राशि होने के कारण किरायेदार (आवेदक) श्री शेलेन्द्र वर्मा को कनेक्शन नहीं दिया गया था। वर्तमान में श्री राजू ठांडे के कनेक्शन पर बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया हैं। अतः आवेदक श्री शेलेन्द्र वर्मा को मेसर्स कृष्णा डेयरी के नाम से एक गैर घरेलू कनेक्शन संयोजित विद्युत भार 2 किलोवॉट, दिनांक 02.09.18 को दे दिया गया हैं। आवेदक की मुख्य शिकायत उन्हें विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं करने से संबंधित थीं, जो उन्हें प्रदान किया जा चुका हैं। इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं। अतः प्रकरण समाप्त करने हेतु निवेदन हैं।

फोरम द्वारा विवेचना उपरांत यह पाया गया कि आवेदक श्री शेलेन्द्र वर्मा द्वारा श्री कृष्णा डेयरी के नाम से एक गैर घरेलू विद्युत संयोजन जिसका विद्युत भार

2 किलोवॉट, काली माता मंदिर के पास सिकन्दर कंपू, लश्कर ग्वालियर में लेने हेतु अनावेदक के कार्यालय में आवेदन देकर रजिस्ट्रेशन शुल्क रूपये 250/– रसीद क्रमांक 1758/222 दिनांक 29.11.2017 तथा अन्य चार्ज रूपये 4101/– रसीद क्रमांक 1758/222 दिनांक 02.01.2018 को जमा कर दिये जाने के बाद भी परिसर में पूर्व बकाया राशि के आधार पर विद्युत संयोजन अनावेदक द्वारा नहीं दिये जाने के कारण फोरम के समक्ष यह शिकायत प्रस्तुत की गई हैं।

अनावेदक द्वारा आवेदक का गैर घरेलू/औद्योगिक विद्युत संयोजन, परिसर पर पूर्व की बकाया राशि का भुगतान प्रापत हो जाने पर दिनांक 02.09.18 को मेसर्स कृष्णा डेयरी के नाम से सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण कर प्रदान कर दिया गया हैं एवं विद्युत मीटर क्रमांक 24670004 मेक एवन परिसर में 0000 रीडिंग पर स्थापित कर दिया गया हैं।

इस प्रकार अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं, जो कि नियमानुसार एवं न्याय संगत पाया गया हैं।

प्रकरण निराकृत समाप्त किया जाता हैं।

अनावेदक को निर्देशित किया जाता हैं कि वह आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस में प्रकरण में किये गये निराकरण के पालन प्रतिवेदन की एक एक प्रति फोरम एवं आवेदक को प्रेषित करें।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 15/10/2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री शेलेन्द्र वर्मा, श्रीकृष्ण डेरी फार्म
काली मन्दिर के पास, सिकन्दर कंपू,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 15 / 10 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–129 / 2018) दिनांक28.03.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 15 / 10 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग, दक्षिण), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., मालनपुर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–129 / 2018 दिनांक 28.03.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 15 / 10 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 151/2018

28.03.2018

श्री अम्बरीश कुमार गुप्ता पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता
म.नं. 154, शील नगर, अम्बेडकर पार्क के पास,
बहोड़ापुर, ग्वालियर (म.प्र)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग, उत्तर), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक15.10.2018 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी./151 दिनांक28.03.18 को पंजीकृत कर दिनांक13.04.18, 11.05.18, 07.06.18, 12.07.18, 09.08.18,06.09.18 एवं 12.10.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :-**आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि मेरे द्वारा बिल मार्च 2016 तक जमा कर दिया गया था, लेकिन आपके यहॉ से अप्रैल 2016 पिछले बिल की राशि बकाया बिल में जोड़ दी गई थीं। मेरी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जमा करने में असमर्थ रहा। मेरा बिल का संशोधन नहीं किया गया। मीटर में अधिक रीडिंग बताकर मैंने बात की तो बताया गया कि मीटर खराब हैं। मेरी बात नहीं सुनी गई और मेरा कनेक्शन फरवरी 2017 में काट दिया गया और मेरा कनेक्शन काटने के बाद आंकलित खपत लगाकर बिल भेजा जा रहा हैं। मैं अंधेरे में रह रहा हूॅ। इसकी सूचना भी दे चुका हूॅ। यह सूचना अप्रैल 2017 में दे चुका हूॅ। अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि बिल में संशोधन कर एवं फरवरी 2017 का बिल माफ करें एवं शेष राशि का किश्तों में जमा कराने की कृपा करे।

5. **अनावेदक का कथन :-**अनावेदक ने प्रकरण में फोरम के समक्ष कथन किया कि उपभोक्ता द्वारा उसके घरेलू कनेक्शन से संबंधित देयक माह 04/2016 से 03/2018 तक आंकलित खपत युक्त देयक प्राप्त हुए, जिन्हें संशोधित करने हेतु उनके द्वारा अनुरोध

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

किया गया। उपभोक्ता का माह 03/2016 में देयक 24985/– रू. का था तथा उसी माह में उसके बिल में 2000/– की सुरक्षा निधि दर्शायी गयी है। उस माह में उपभोक्ता द्वारा विद्युत देयककी राशि जमा करने हेतु संबंधित जोन प्रबंधक, ट्रांसपोर्ट नगर से सम्पर्क किया गया। उस पर उनके द्वारा राशि 24985/– में से 2000/– रू. की सुरक्षा निधि कम करते हुए शेष राशि 22985/– में 5040/– राशि का समायोजन कम करते हुए शेष राशि 17945/– उपभोक्ता को जमा करने के लिये कहा गया, जिस पर उपभोक्ता द्वारा 17950/– रू. की राशि जमा करायी गयी।

उपभोक्ता को माह 04/2016 में 82 यूनिट का देयक भुगतान के लिये जारी किया गया। साथ ही उस माह बिल में 2000/– रू. की सुरक्षा निधि तथा 4140/– रू. की राशि का समायोजन दर्शाया गया। उस माह समायोजन की राशि 597/– रू. कम होने के कारण राशि का उचित समायोजन नहीं हो पाया। अतः माह 07/2018 में शेष राशि 597/– रू. का समायोजन प्रबंधक, ट्रांसपोर्ट नगर द्वारा किया गया हैं। इस प्रकार उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं। अतः शिकायत को निराकृत मानने का कष्ट करें।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–** आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया किदिनांक 13.04.2018 को आवेदक प्रतिनिधि श्री जगदीश गुप्ता फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं कथन किया गया कि मेरे द्वारा मार्च 2016 तक के विद्युत बिलों का पूर्ण भुगतान कर दिया गया था। इन विद्युत बिलों में सुरक्षा निधि राशि रूपये 2000/– अंकित थीं। इसके बाद अप्रैल 2016 से हर माह अलग अलग माह में अलग अलग राशि सुरक्षा निधि की मद अंकित की गई। माह फरवरी 2017 में मेरा विद्युत कनेक्शन काट दिया गया। मुख्यमंत्री हेल्प लाईन में शिकायत करने पर रूपये 5000/– जमा कराकर विद्युत कनेक्शन जोड़ दिया गया, उसमें से मात्र 3240/– रूपये 12 माह के लगभग कम किये गये। जबकि 12 माह का कुल बिल 10,000/– रूपये के लगभग होता हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि मेरे विद्युत बिलों में लगा हुआ अधिभार एवं विद्युत संयोजन विच्छेदित की अवधि 12 माह की राशि बिल में समायोजित करने शेष राशि का किश्तों में भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जावें, यहीं निवेदन हैं।

दिनांक 11.05.2018 को अनावेदक ने प्रकरण में फोरम के समक्ष कथन किया कि उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह देखने में आया हैं कि उपभोक्ता को अवधि अप्रैल 2016 से मार्च 2018 तक रीडिंग आधारित विद्युत देयक भुगतान के लिये भेजे गये। अतः उपभोक्ता का यह कहना सही प्रतीत नहीं होता हैं कि सम्पूर्ण अवधि अप्रैल 2016 से मार्च 2018 तक विद्युत देयक आंकलित खपत युक्त थें। उपभोक्ता कोअवधि अप्रैल 2017 से फरवरी 2018 तक आंकलित खपत युक्त विद्युत देयक जारी कियेगये थें। उक्त अवधि में लगाई गई आंकलित खपत को टैरिफ मिनिमम से संशोधितकिया जा रहा हैं। जिसके तहत अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 तक की अवधि में लगाई

गई आंकलित खपत को टैरिफ मिनिमम लेकर संशोधित करने पर माह मार्च 2018 में राशि रूपये 3959/– का समायोजन किया गया हैं तथा शेष 2 माह फरवरी 2018 एवं मार्च 2018 की राशि रूपये 573/– का समायोजन अप्रैल 2018 में किया गया हैं। इस प्रकार आवेदक को कुल राशि रूपये 4532/– का समायोजन किया गया हैं। इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया है।

आवेदक ने उसकी शिकायत के निराकरण किये जाने सहमत न होते हुए कथन किया कि मुझे सुरक्षा निधि, जो हमारे द्वारा अप्रैल 2016 से जमा राशि का हिसाब दिया जायें। अप्रैल 2016 से लगे अधिभार को भी कम किया जावें। फरवरी 2017 से कटे हुए विद्युत संयोजन का चार्ज माफ किया जाये। यही माननीय फोरम से निवेदन हैं।

दिनांक 09.08.2018 को अनावेदक ने फोरम के समक्ष कथन किया कि पत्र क्रमांक 710 दिनांक 08.05.2018 के माध्यम से पूर्व में ही जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। उपभोक्ता को माह मार्च 2016 का विद्युत देयक रूपये 24985/– था। उसी माह में उसके विद्युत देयक में रूपये 2000/– की सुरक्षा निधि राशि दर्शायी गई है। आवेदक के विद्युत देयक में से रूप्ये 2000/– सुरक्षा निधि कम करते हुए शेष राशि रूपये 22985/– में रूपये रूपये 5040/– का समायोजन करते हुए शेष राशि रूपये 17985/– उपभोक्ता द्वारा जमा कराई जाने हेतु कहा गया, जिस पर उपभोक्ता द्वारा राशि रूपये 17950/– जमा किया गया एवं उपभोक्ता को माह अप्रैल 2016 में 82 यूनिट खपत का विद्युत देयक भुगतान हेतु जारी किया गया। साथ ही उसी माह विद्युत देयक में रूपये 2000/– की सुरक्षा निधि तथा रूपये 597/– का समायोजन कम होने के कारण उचित समायोजन नहीं हो पाया। अतः माह जुलाई 2018 में शेष राशि का समायोजन प्रबंधक ट्रांसपोर्ट नगर जोन द्वारा किया गया। इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण किया जा रहा हैं। अतः शिकायत निराकृत मानने का कष्ट करें।

आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया कि उनके द्वारा विद्युत बिल माफी हेतु आवेदन दिया गया था। हमारी शिकायत का निराकरण, अनावेदक द्वारा कर दिया गया हैं। अब हमें प्रकरण में आगे कुछ नहीं कहना हैं। अनावेदक द्वारा शिकायत के निराकरण में की गई कार्यवाही से हम संतुष्ट एवं सहमत हैं। हम अपनी शिकायत वापस लेकर प्रकरण समाप्त करना चाहते हैं। अतः प्रकरण समाप्त करने का कष्ट करें।

फोरम द्वारा विवेचना उपरांत यह पाया गया कि आवेदक श्री अम्बरीश गुप्ता के नाम से एक घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2424207–92–7–2249303000 म.नं. 154, शीलनगर, अम्बेडकर पार्क के पास, बहोड़ापुर, ग्वालियर के विद्युत देयक माह अप्रैल 2016 से मार्च 2018 तक आंकलित खपत के जारी किये गये, को आंकलित खपत हटाकर मीटर में दर्ज खपत अनुसार संशोधितकर संशोधन उपरांत भुगतान योग्य राशि

के अनुसार अधिभार लिये जाने एवं भुगतान योग्य राशि का विद्युत देयक दिये जाने का निवेदन किया गया हैं।

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

फोरम द्वारा पाया गया कि उपभोक्ता पासबुक के अनुसार आवेदक को अप्रैल 2016 से फरवरी 2017 तक मीटर में दर्ज खपत अनुसार ही विद्युत देयक जारी कियेगये हैं। मार्च 2017 से जनवरी 2018 की अवधि में आंकलित खपत के विद्युत देयक जारी किये गये हैं। अतः आवेदक का यह कहना सही नहीं हैं कि उसे अप्रैल 2016 से मार्च 2018 तक आंकलित खपत के बिल दिये गये। मार्च 2016 का विद्युत देयक रूपये 24985/– के भुगतान हेतु आवेदक की सुरक्षा निधि राशि रूपये 2000 एवं रूपये 5040/– का समायोजन उपरांत शेष राशि रूपये 17945/– के विद्युत देयक आवेदक ने रूपये 17950/– का भुगतान कर दिये जाने के पश्चात माह मार्च 2016 तक आवेदक पर विद्युत देयकों की बकाया राशि नहीं थी। माह अप्रैल 2016 में आवेदक को 82 यूनिट का विद्युत देयक भुगतान के लिये दिया गया। साथ ही उसी माह सुरक्षा निधि राशि रूपये 2000/– तथा 4140/– रूपये की राशि का समायोजन दर्शाया गया है।। उस माह समायोजन की राशि रूपये 597/– कम होने के कारण जुलाई 2018 में रूपये 597/– का समायोजन किया जाना अनावेदक द्वारा स्वीकार किया गया हैं।

इसी प्रकार अनावेदक द्वारा मार्च 2017 से जनवरी 2018 तक की अवधि में आवेदक को जारी आंकलित खपत के विद्युत देयकों से आंकलित खपत हटाकर तत्समय प्रचलित टैरिफ मिनिमम के अनुसार संशोधन उपरांत रूपये 4532/– की क्रेडिट आवेदक को माह मार्च में रूपये 3959/– एवं अप्रैल 2018 में रूपये 573/– दी गई हैं, जिस पर आवेदक ने फोरम के समक्ष अपनी शिकायत के निराकरण से संतुष्ट होकर सहमति प्रकट की हैं।

इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण न्याय संगत एवं नियमों के अनुसार कर दिया गया हैं। अतः प्रकरण निराकृत समाप्त किया जाता हैं।

आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में पालन प्रतिवेदन की एक प्रति फोरम एवं एक प्रति आवेदक को प्रेषित करें।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 15/10/2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री अम्बरीश कुमार गुप्ता पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता
म.नं. 154, शील नगर, अम्बेडकर पार्क के पास,
बहोड़ापुर, ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 15 / 10 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–151 / 2018) दिनांक28.03.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 15 / 10 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग, उत्तर), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–151 / 2018 दिनांक 28.10.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 15 / 10 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 10 / 2018

प्रति,
श्रीमति नूतन पाठक,
जेड 21, बालाजी टावर, एम.पी. नगर, जोन–1 भोपाल।(म.प्र.)

विषय :–प्रकरण क्रमांक BT-02/2018दिनॉक 02.04.2018 में फोरम के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक BT-02/2018 दिनॉक 02.04.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनॉक 15.10.2018 को कर दिया गया है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (दक्षिण) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि विदिशा। (म.प्र.) – ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक बी.टी.–02 / 2018 दिनांक 02.04.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 15.10.2015इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.बी.टी.02/2018

02.04.2018

श्रीमति नूतन पाठक, (आवेदिका)
जेड 21, बालाजी टावर, एम.पी. नगर, जोन–1 भोपाल।(म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, (अनावेदक)
शहर संभाग (दक्षिण)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
भोपाल। (म.प्र.)

आदेश

आज–15.10.2018 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदिका के इस आवेदन को फोरम द्वारा बी.टी/02दिनॉक 02.04.18 को पंजीकृत कर दिनॉक 16.04.2018, 03.05.2018, 04.06.2018, 13.06.2018, 30.07.2018, 29.08.2018, 10.09.2018 एवं 05.10.2018को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदिका का कथन** :–आवेदिका ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि हमारे एम.पी. नगर स्थित कार्यालय में श्रीमति नूतन पाठक, जेड 21, बालाजी टॉवर, एम.पी. नगर, जोन–1, भोपाल में एक विद्युत कनेक्शन क्रमांक 1819494000 हैं, जिसका स्वीकृत भार 25 किलोवॉट हैं। दिनांक 24.05.2017 को विद्युत विभाग की टीम द्वारा हमारे परिसर का निरीक्षण किया गया था एवं निरीक्षण के दौरान कुल भार 17.34 किलोवॉट पाया गया था।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

हमें निरीक्षण दल द्वारा यह बताया गया कि आपके मीटर का एक व्हाय टर्मिनल (Y Terminal) जला हुआ पाया गया एवं यह बताया गया कि आपका मीटर बदलना होगा। दिनांक 17.06.2017 को हमारे परिसर का मीटर बदलकर नया मीटर स्थापित किया गया। निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण के दौरान मीटर में कोई छेड़छाड़ नहीं पाई गयी थीं। दिनांक 09.06.2017 को एक विद्युत बिल राशि रूपये 16295/– रूपये का भेजा गया। इसके कुछ दिनों पश्चात प्रबंधक, शहर संभाग, दक्षिण एम.पी. नगर, भोपाल के पत्र क्रमांक 855, दिनांक 28.06.2017, जिस पर किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं, के साथ एक और बिल राशि रूपये 1,28,163/– हमें प्राप्त हुआ। इस पत्र के साथ एक स्टेटमेण्ट, जो कि पढ़ने योग्य नहीं हैं, भी प्राप्त हुआ। हमें बाद में यह पता चला कि निरीक्षण दल द्वारा हमारे परिसर पर धारा 126 के तहत प्रकरण बनाया गया हैं एवं हमारे ऊपर उक्त बिलों का भुगतान करने हेतु दबाव बनाया जा रहा हैं, जो कि अनुचित हैं। अतः माननीय फोरम से निवेदन हैं कि हमारे परिसर के विरूद्ध बनाये गये धारा 126 के प्रकरण को निरस्त करने एवं बिल को समाप्त करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें। परिसर को हमारे द्वारा मेसर्स कारवी कंसलटेण्ट प्रा. लि. को किराये पर दिया हुआ हैं एवं यहॉ कॉल सेण्टर का संचालन होता हैं। यह कॉल सेण्टर 10 से 12 घण्टे संचालित होता है और सप्ताह में एक दिन अवकाश रहता है।

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदिका की शिकायत के संदर्भ में अपना लिखित कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर कथन किया किदिनांक 24.05.2017 को विद्युत सर्विस क्रमांक 1891494000 जो कि उपभोक्ता नूतन पाठक के नाम पर जेड–21,बालाजी टॉवर, एम.पी. नगर, जोन–1, भोपाल में विद्यमान है, का स्थल निरीक्षण बी.आई सेल राजगढ़ द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थापित मीटर क्रमांक एम.पी. 910710 का वाय फेस का टर्मिनल जला पाया गया एवं मीटर में तीनो फेस पर वोल्टेज क्रमशः आर–224.4 वोल्ट, वाय–03 वोल्ट एवं बी–226.1 वोल्ट पाये गये वोल्ट पाये गये एवं कंरट क्रमशः आर–32 एम्पीयर, वाय–27 एम्पीयर एंव बी फेस पर 29 एम्पीयर पाया गया। अतः उक्त निरीक्षण का पंचनामा क्रमांक 1638/05 दिनांक 24.05.2017 मौके पर बनाया गया एवं उपभोक्ता को राशि रूपये 1.28,163/– का देयक, भुगतान हेतु प्रेषित किया गया था। उपभोक्ता द्वारा इस संबंध में आवेदन वृत्त स्तरीय समीक्षा समिति में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर वृत्त स्तरीय समिति ने मीटर एम.आर.आई का अवलोकन करने पर पाया गया कि मीटर के वाय फेस पर वोल्टेज दिनांक 18.04.2016 से मिसिंग पाया गया। अतः समिति ने जारी देयक की गणना मई 2016 से की जा कर पुनरीक्षित देयक उपभोक्ता को जारी करने हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः समिति के निर्णय अनुसार उपभोक्ता को प्रबंधक एम.पी.नगर जोन शहर संभाग दक्षिण म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल के पत्र क्रमांक 1097 दिनांक 29.09.2017 को द्वारा पुनरीक्षित देयक राशि रूपये 97,033/–, भुगतान हेतु जारी किया गया है, जिसका पूर्ण भुगतान आज दिनांक तक लंबित है।

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।

दिनांक 16.04.2018 को आवेदिका द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया गया कि हमारे एम.पी. नगर स्थित कार्यालय में श्रीमति नूतन पाठक, जेड 21, बालाजी टॉवर, एम.पी. नगर, जोन–1, भोपाल में एक विद्युत कनेक्शन क्रमांक 1819494000 हैं, जिसका स्वीकृत भार 25 किलोवॉट हैं। दिनांक 25.05.2017 को विद्युत विभाग की टीम द्वारा हमारे परिसर का निरीक्षण किया गया था एवं निरीक्षण के दौरान कुल भार 17.34 किलोवॉट पाया गया था। हमें निरीक्षण दल द्वारा यह बताया गया कि आपके मीटर का एक व्हाय टर्मिनल (Y Terminal) जला हुआ पाया गया एवं यह बताया गया कि आपका मीटर बदलना होगा। दिनांक 17.06.2017 को हमारे परिसर का मीटर बदलकर नया मीटर स्थापित किया गया। निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण के दौरान मीटर में कोई छेड़छाड़ नहीं पाई गयी थीं। दिनांक 09.06.2017 को एक विद्युत बिल राशि रूपये 16295/– रूपये का भेजा गया। इसके कुछ दिनों पश्चात प्रबंधक, शहर संभाग, दक्षिण एम.पी. नगर, भोपाल के पत्र क्रमांक 855, दिनांक 28.06.2017, जिस पर किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं, के साथ एक और बिल राशि रूपये 1,28,163/– हमें प्राप्त हुआ। इस पत्र के साथ एक स्टेटमेण्ट, जो कि पढ़ने योग्य नहीं हैं, भी प्राप्त हुआ। हमें बाद में यह पता चला कि निरीक्षण दल द्वारा हमारे परिसर पर धारा 126 के तहत प्रकरण बनाया गया हैं एवं हमारे ऊपर उक्त बिलों का भुगतान करने हेतु दबाव बनाया जा रहा हैं, जो कि अनुचित हैं। अतः माननीय फोरम से निवेदन हैं कि हमारे परिसर के विरूद्ध बनाये गये धारा 126 के प्रकरण को निरस्त करने एवं बिल को समाप्त करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें। परिसर को हमारे द्वारा मेसर्स कारवी कंसलटेण्ट प्रा. लि. को किराये पर दिया हुआ हैं एवं यहॉ कॉल सेण्टर का संचालन होता हैं। यह कॉल सेण्टर 10 से 12 घण्टे संचालित होता है और सप्ताह में एक दिन अवकाश रहता हैं।

अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि दिनांक 24.05.2017 को विद्युत सर्विस क्रमांक 1819494000, जो कि उपभोक्ता नूतन पाठक के नाम पर जेड 21, बालाजी टावर, जोन–1 एम.पी. नगर, भोपाल में विद्यमान हैं, का स्थल निरीक्षण बी.आई.सेल राजगढ़ द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थापित मीटर क्रमांक एम.पी. 910710 का वाय फेस का टर्मिनल जला पाया एवं मीटर में तीनों फेस पर वोल्टेज क्रमशः आर–224.4 एम्पियर वोल्ट, वाय–0.3 वोल्ट एवं बी.–226.1 वोल्ट पाये गये एवं करण्ट क्रमशः आर–32 एम्पियर, वाय–27 एम्पियर एवं बी फेस पर 29 एम्पियर पाया गया। अतः उक्त निरीक्षण का पंचनामा क्रमांक 1638/05 दिनांक 24.05.2017 मौके पर बनाया गया एवं उपभोक्ता को राशि रूपये 1,28,163/– का देयक भुगतान हेतु प्रेषित किया गया था। उपभोक्ता द्वारा इस संबंध में आवेदन वृत्त स्तरीय समीक्षा समिति में प्रकरण के

पुनरावलोकन हेतु आवेदक प्रस्तुत किया गया था, जिस पर वृत्त स्तरीय समिति द्वारा विचारोपरांत मीटर एम.आर.आई का अवलोकन करने पर पाया कि मीटर के वाय फेस पर वोल्टेज दिनांक 18.04.2016 से मिसिंग पाया गया। अतः समिति ने जारी देयक की गणना मई 2016 से की जाकर पुनरीक्षित देयक उपभोक्ता को जारी करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त प्रकरण में फेस मिसिंग होने के कारण मीटर में जो कम यूनिट दर्ज हुए, उनकी बिलिंग सामान्य दर से की गई हैं। निरीक्षण दल द्वारा पंचनामें में दर्ज धारा 126 संभवतः भूलवश दर्ज की गई हैं एवं प्रकरण में धारा 126 के तहत कोई भी पेनल बिलिंग नहीं की गई हैं।

अतः समिति के निर्णय अनुसार उपभोक्ता को प्रदाय किये गये पूर्व देयक जो जनवरी 16 से दिसम्बर 2016 तक की अवधि का निरीक्षण कर्ता अधिकारी द्वारा राशि रूपये 1,28,163/– प्रदान किया गया था, जिसे वृत्त स्तरीय समिति में मीटर की एम. आर.आई. रिपोर्ट के आधार पर मई 2016 से अप्रैल 2017 तक राशि रूपये 97,033/– पुनरीक्षित कर प्रबंधक एम.पी. नगर जोन, शहर संभाग, दक्षिण भोपाल के पत्र क्रमांक 1079, दिनांक 29.09.2017 के द्वारा पुनरीक्षित देयक राशि रूपये97,033/– भुगतान हेतु जारी किया गया हैं, जिसका पूर्ण भुगतान आज दिनांक तक लंबित हैं।

दिनांक 04.06.2018 को आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया गया कि पेशी दिनांक 03.05.18 को हमें मीटर क्रमांक एम.पी. 910710 की एम.आर.आई. उपलब्ध कराई गई हैं, वह सही नहीं हैं। हमारे परिसर से मीटर निकालते समय जो मीटर परिवर्तन रिपोर्ट दी गई थीं, उससे एम.आर.आई. रिपोर्ट का मिलान करने पर पाया गया कि हमारे परिसर में स्थापित मीटर का मीटर क्रमांक एम.पी. 910717 हैं, जबकि हमें मीटर क्रमांक एम.पी. 910710 की एम.आर.आई. उपलब्ध कराई गई हैं। इससे यह सिद्ध होता हैं कि हमारे परिसर से जो मीटर निकाला गया था, उसकी जॉच न कराते हुए किसी दूसरे अन्य मीटर क्रमांक एम.पी. 910710 की एम.आर.आई. कराई गई हैं। जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि हमारे परिसर में विद्युत खपत कम दर्ज हुई, जिससे हम पूरी तरह असहमत हैं।

हमारे परिसर से निकाले गये मीटर की जॉच हम स्वतन्त्र एजेंसी सी.पी.आर.आई. संस्थान में अपने खर्चे पर कराना चाहते हैं। इस हेतु जो भी निर्धारित प्रक्रिया हो, उससे हमें अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि उक्त संस्थान से मीटर की शीघ्राति–शीघ्र जॉच कराई जा सकें।

फोरम द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया जाता हैं कि वह यह सुनिश्चित करें कि जो मीटर आवेदक के परिसर से निकाला गया हैं, उसी मीटर की एम.आर.आई. रिपोर्ट कराई गई हैं। यदि नहीं, तो आवेदक के परिसर से निकाले गये मीटर की एम.आर.आई. रिपोर्ट आगामी तिथि पर फोरम के समक्ष प्रस्तुत की जायें। साथ ही आवेदक की उपभोक्ता पासबुक, उपभोक्ता के परिसर से निकाले गये मीटर को भी फोरम के समक्ष

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

प्रस्तुत करें। यदि इस अवधि में विवादित मीटर की जॉच सी.पी.आर.आई. में कराया जाना संभव हों, तो आगामी पेशी दिनांक पर जॉच रिपोर्ट फोरम के समक्ष प्रस्तुत की जायें।

दिनांक 13.06.2018 को मीटर क्रमांक एमपी 910710 जो कि सिक्योर मेक का हैं, को अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया। फोरम द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया गया कि वे कंपनी की क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला से मीटर का विगत 6 माह का स्टोर डाटा निकलवायें। इसके पश्चात मीटर को टेस्टिंग हेतु भोपाल में स्वतंत्र ऐजेंसी सी.पी.आर.आई. को भेजा जायें। सी.पी.आर.आई. को भेजे जाने के पूर्व सी.पी.आर. आई. लेब से मीटर टेस्टिंग हेतु आवश्यक राशि आवेदक को सूचित की जावें।

दिनांक 30.07.2018 को अनावेदक की ओर से श्री आर.पी. चौबे, उप महाप्रबंधक, बी.आई. सेल, शहर वृत्त, भोपाल द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया गया कि आवेदक के परिसर में स्थापित मीटर क्रमांक एम.पी. 910710 ही हैं एवं इस मीटर की एम.आर.आई. रिपोर्ट ही आवेदक को उपलब्ध कराई गई हैं। लिपिकीय त्रुटिवश आवेदक के मीटर परिवर्तन रिपोर्ट क्रमांक 23/005 दिनांक 17.06.17 में मीटर क्रमांक एम.पी. 910717 अंकित हो गया है।

अतः माननीय फोरम से निवेदन हैं कि आवेदक की मीटर परिवर्तन रिपोर्ट में मीटर क्रमांक एम.पी. 910717 के स्थान पर मीटर क्रमांक एम.पी.910710 पढ़ा जायें।

दिनांक 05.10.2018 को अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया गया कि उपभोक्ता के निवेदन पर स्वतंत्र एजेंसी जो कि भोपाल के लिये केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान में उपभोक्ता के मीटर की जॉच कराई गई, जिसमें मीटर की कार्यप्रणाली के संबंध में कंपनी द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया था, उसी निष्कर्ष की केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की गई हैं अर्थात मीटर वाय फेज पर खपत दर्ज नहीं कर रहा था।

जहॉ तक मीटर के सरल क्रमांक के बारे में भ्रम की स्थिति निर्मित हुई थीं, उसे कार्यालय में श्री वीरेन्द्र पाठक प्रतिनिधि श्रीमती नूतन पाठक की उपस्थिति में संयुक्त रूप से जॉच कर मिलान किया गया, जिसमें मीटर का सरल क्रमांक सही पाया गया। दोनों ही जॉचों से आवेदक ने फोरम के समक्ष अपनी संतुष्टि जताई हैं एवं अनावेदक द्वारा की गई बिलिंग को स्वीकार किया परन्तु उनके द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि यदि अनावेदक द्वारा त्रुटिवश कोई अनावश्यक बिलिंग की गई हो तो फोरम अपने संज्ञान में लें एवं यह भी निवेदन किया गया कि अनावेदक की स्वयं की गलती के कारण 12 माह की इकठ्टी बिलिंग का बिल हमें दिया गया हैं, जिसे हम एक मुश्त जमा करने में सक्षम नहीं हैं। यहॉ यह कहना भी उचित होगा कि उपरोक्त जगह हमारे द्वारा उक्त परिसर किराये पर मेसर्स कार्वी कंसलटेण्ट को दिया गया हैं एवं उनके द्वारा विद्युत का उपयोग किया

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

जा रहा हैं। अतः यह वसूली उन्हीं से किया जाना हैं। इस संबंध में हमारा माननीय फोरम से यह निवेदन हैं कि अतिरिक्त बिल की गई राशि को समान 12 किश्तों में मासिक बिलों में जोड़कर लगायी जाये, जिससे हमें उसका भुगतान करने में सुविधा होगी।

अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि आवेदक द्वारा किये गये निवेदन पर कि ''अतिरिक्त बिल की गई राशि को समान 12 किश्तों में मासिक बिलों में जोड़कर लगायी जाये'' पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर कार्यवाही की जायेगी। अतः फोरम से निवेदन हैं कि इस निवेदन पर उचित निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें ताकि आवेदक द्वारा किये गये निवेदन पर उन्हें सुविधा प्रदान की जा सकें।

प्रकरण में उपभोक्ता श्रीमति नूतन पाठक के विद्युत संयोजन की, जिसका उपयोग मेसर्स कारवी कंसल्टेंट द्वारा किया जा रहा है, अनावेदक कंपनी के सतर्कता दल द्वारा दिनांक 24.05.2018 को आकस्मिक जांच में विद्युत मीटर का एक फेस जला पाये जाने पर मीटर निकालकर मीटर परीक्षण लैब में जांच करायी गयी तथा एम आर आई रिपोर्ट निकाली गयी। जिसमें मीटर के वाय फेस पर वोल्टेज मिसिंग पाया गया। जिसके आधार पर अनावेदक द्वारा आवेदक को रूपये 128163/– का अतिरिक्त देयक भुगतान हेतु दिया गया। जिससे असंतुष्ट होकर उपभोक्ता द्वारा उसे प्राप्त अतिरिक्त देयक को निरस्त किये जाने हेतु अनावेदक को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अनावेदक द्वारा आवेदक के अभ्यावेदन पर वृत्त स्तरीय समीक्षा समिति में विचारोपरांत आवेदक को राशि रूपये 97033/– का पुनरीक्षित देयक दिया गया। इसके पश्चात आवेदक द्वारा उसे प्राप्त अतिरिक्त देयक को निरस्त किये जाने हेतु फोरम के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया।

फोरम के समक्ष सुनवाई में उनके विद्युत मीटर की अनावेदक कंपनी की मीटर परीक्षण लैब द्वारा की गयी जांच एवं एम.आर.आई रिपोर्ट से अपनी असहमति व्यक्त करते हुये मीटर की जांच सी.पी.आर. आई भोपाल में उनके खर्चे पर कराये जाने का निवेदन आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष किया गया।

फोरम के निर्देश पर अनावेदक द्वारा आवेदक के खर्चे पर मीटर की जांच सी.पी. आर.आई में दिनांक 25.09.2018 को कराई गयी। सी.पी.आर.आई द्वारा प्रदान की गयी मीटर की जांच रिपोर्ट के अनुसार मीटर के वाय फेस पर रीडिंग रिकार्ड होना नही पायी गयी। आवेदक द्वारा मीटर की जांचो से फोरम के समक्ष अपनी संतुष्टि एवं सहमति व्यक्त की गयी तथा कथन किया गया कि चूंकि उक्त विद्युत कनेक्शन का उपयोग मेसर्स कार्वो कंसलेटंट द्वारा किया जाती है। अतः अतिरिक्त बिल की राशि 12 समान किश्तों में विद्युत बिल में जोड़कर वसूली की जाये।

अतः फोरम द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक के निवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर अतिरिक्त बिल की राशि की वसूली हेतु वर्तमान में

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

प्रचलित प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को 12 समान किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान की जाये।

प्रकरण निराकृत होकर समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 15.10.2018
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस.मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य (राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 10 / 2018

प्रति,
श्री शिवप्रसाद चतुर्वेदी, (रिटायर डी.एस.पी.)
हरिपुरा पुलिस लाईन के पीछे, विदिशा। (म.प्र.)

विषय :–प्रकरण क्रमांक BT-14/2018दिनॉक 04.08.2018 में फोरम के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक BT-14/2018दिनॉक 04.08.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनॉक 10.10.2018 को कर दिया गया है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक (सं. / सं.) संभागम.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि विदिशा। (म.प्र.) – ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक बी.टी.–14 / 2018 दिनांक 04.08.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 10.10.2018इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.बी.टी.14/2018

04.07.2018

श्री शिवप्रसाद चतुर्वेदी, (रिटायर डी.एस.पी.) (आवेदक)
हरिपुरा पुलिस लाईन के पीछे, विदिशा। (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक (सं./सं.) संभाग(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
विदिशा। (म.प्र.)

आदेश

आज–10.10.2018 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा बी.टी/14दिनॉक 04.08.18 को पंजीकृत कर दिनॉक 30.08.2018 एवं 05.10.2018को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि मैं शिवप्रसाद चतुर्वेदी हरिपुरा में रहता हूॅ। हरिपुरा में मेरे नाम से विद्युत कनेक्शन है। पूर्व में ठेकेदार द्वारा मेरे मकान की पीछे की दीवार में ऊपर से कोई भी शेड नही है पानी आता रहता है, वहां पर मना करने पर भी मीटर लगवा दिया गया है।

   मैं अधिकतर पत्नी के साथ में खेत में बने मकान में रहते है। हरिपुरा वाले मकान में अक्सर ताला बंद रहता है। पिछले महीनों में करीवन 30–40 यूनिट का बिल आता

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

रहा है। इसको हमारे द्वारा जमा किया जाता है। माह अक्टूबर एवं नवम्बर 2017 के बिल में आंकलित खपत 100 यूनिट लगाकर माह दिसम्बर में 120 यूनिट का बिल मुझे दिया गया। माह मार्च 2018 का 150 यूनिट का बिल आंकलित खपत का दिया गया है।

मैने दिनांक 12.02.2018 को आंकलित खपत कम करने के लिये मिर्जापुर के इंन्जीनियर साहब को आवेदन दिया था इसके पूर्व मौखिक तौर पर भी बताया था उन्होने आवश्वासन दिया था कि आंकलित खपत कम कर देगे, मीटर दिखवा लेगे।

इंजीनियर साहब ने भैयालाल लाईनमेन के साथ एक लड़के को मेरे घर पर भेजा उसने मेरे घर से कुर्सी बुलवाकर उस पर चढ़कर मीटर को देखा सील तोड़ी मीटर भी टूट गया और मुझसे बोले कि मीटर मैं दूसरा लगा रहा हूॅ। आप साहब के ऑफिस में मीटर के पैसे राशि रूपये 1800/– भर देना। मैने पैसे भरने से मना किया कि मैं पैसे क्यों जमा करू तो उसने कहा कि मैं दूसरा मीटर लगा रहा हूॅ, तो मैनें कहा कि मेरी कौन सी गलती है, मैं मीटर के पैसे जमा नही करूगां, तो वे लोग मीटर तोड़कर चले गये। मैने कम्पनी में जाकर बातचीत की परन्तु वह के अधिकारी का बातचीत करने का रवैया खराब लगा और हमारी शांति से बात नही सुनी और हम से असभ्यता से पेश आये।

अतः आपसे निवेदन है कि कृपया कर मेरा पिछला रिकार्ड देखते हुये आंकलित खपत को हटाई जावे और बिलो में संशोधित करके मुझे बिल दिये जावे ताकि में बिल का भुगतान कर सकूॅ।

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में अपना लिखित कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर कथन किया किआवेदक के अनुसार उसे प्रदान किये गये घरेलू विद्युत कनेक्शन क्र. 2624947–23–2–3888300000 के देयकों में आंकलित खपत को जोड़कर बिल दिये जाने के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त अभ्यावेदन आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

1. आवेदक के उपरोक्त कनेक्शन क्र. में आंकलित खपत के बिल को माह अक्टूबर 2017 से अप्रैल 2018 तक ली गयी आंकलित खपत को समायोजन करते हुये, कुल राशि रूपये 4,465/– का समायोजन माह अगस्त 2018 के देयक में कर दिया गया है, संलग्न पुनरीक्षित बिलिंग गणना प्रपत्र (अ) संलग्न।

2. आवेदक के आगामी माह सितम्बर 2018 के विद्युत देयक में सरचार्ज की राशि को कम करते हुये, शुद्ध राशि देयक रू. 2,535/– का बिल प्रदान किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना है कि अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत का पूर्णतः निराकरण कर दिये जाने के कारण माननीय फोरम से निवेदन है कि प्रकरण को समाप्त करने की कृपा करे।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।

दिनांक 05.10.2018 को आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया कि माननीय फोरम द्वारा दिनांक 24.04.2018 को विदिशा में आयोजित शिविर के दौरान आवेदक द्वारा आंकलित खपत को हटाये जाने के संबंध में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। फोरम द्वारा सभी विद्युत देयकों का अवलोकन करने के पश्चात यह पाया था कि आंकलित खपत गलत तरीके से लगायी गयी है, जिसको हटाकर वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल संशोधित कर दिया जाये, परन्तु अनावेदक द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नही की गई। हॉ, फोरम के निर्देश पर अनावेदक कंपनी द्वारा हमारा मीटर बदलकर नया मीटर लगा दिया गया।

मेरा विदिशा के शहर के हरीपुरा में मकान बना हुआ है, जिसमें मैने एक घरेलू कनेक्शन विद्युत विभाग से प्राप्त किया है परन्तु ज्यादातर मैं अपनी पत्नी के साथ ग्राम धनोरा में स्थित अपने खेत पर बने मकान में निवास करता हूॅ एवं विदिशा स्थित हरीपुरा वाले मकान में कोई नही रहता है एवं अक्सर ताला बंद रहता है। कभी–कभार हम उस मकान में दो–तीन दिन के लिये जाते है और यदि विद्युत कंपनी अपना रिकार्ड देखे तो हमारी वास्तविक खपत 25 से 40 यूनिट प्रतिमाह आती थी। जिसके विद्युत देयकों को मै। समय समय पर जमा करता हूॅ। हमारे हरीपुरा स्थित मकान में लगा मीटर श्री भैयालाल लाईमेन द्वारा तोड दिया गया था और हमसे कहा गया कि मीटर के पैसे ऑफिस में जमा कर देना मैं दूसरा मीटर लगा देता हूॅ। तब मैनें कहा कि मेरी गलती नही है, मै पैसे जमा नही करूगा, उसके बाद अगले माह से आंकलित खपत कभी 100, 120 और 150 यूनिट के विद्युत बिल देना शुरू कर दिये गये। मैने आंकलित खपत को कम करने के लिये कार्यालय में आवेदन दिनांक 12.02.2018 एवं 23.04.2018 को दिये गये, परन्तु कोई सुनवाई नही हुई। अतः माननीय फोरम से निवेदन है कि पिछला रिकार्ड को देखकर एवं बदले गये नये मीटर में दर्ज खपत के आधार पर बिल संशोधित कर प्रदान किये जाये, जिनका मै भुगतान करने हेतु सहमत हूॅ।

अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया कि :–

1. आवेदक के उपरोक्त कनेक्शन क्र. 2624947–23–2–3888300000 में आंकलित खपत के बिल को माह अक्टूबर 2017 से अप्रैल 2018 तक ली गयी आंकलित खपत को समायोजित करते हुये, कुल राशि रूपये 4,465/– का समायोजन माह अगस्त 2018 के देयक में कर दिया गया है,

2. आवेदक के आगामी माह सितम्बर 2018 के विद्युत देयक में सरचार्ज की राशि को कम करते हुये, शुद्ध राशि देयक रू. 2,535/– का बिल प्रदान किया जा रहा है।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

अतः प्रार्थना है कि अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत का पूर्णतः निराकरण कर दिया गया है। अतः प्रकरण को समाप्त करने की कृपा करे।

आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि मैं, अनावेदक द्वारा मेरी शिकायत के संबंध में किये गये निराकरण से सहमत हूॅ एवं मैं अब आगे प्रकरण में और कुछ नही कहना चाहता हूॅ। अतः प्रकरण समाप्त कर दिया जावे।

प्रकरण में आवेदक के घरेलू कनेक्शन के विद्युत बिलों में माह अक्टूबर 2017 से अप्रैल 2018 तक की अवधि में लगायी गयी आंकलित खपत को शिकायत प्राप्त होने पर अनावेदक द्वारा आंकलित खपत हटायी जाकर उक्त अवधि में नये मीटर में दर्ज खपत के औसत 23 यूनिट प्रतिमाह के अनुसार बिल संशोधित करते हुये आवेदक के माह अगस्त 2018 के बिल में राशि रूपये 4465/– का क्रेडिट समायोजन कर दिया गया तथा माह सितम्बर 2018 के बिल में सरचार्ज राशि का भी समायोजन किये जाने का कथन किया गया। जिससे आवेदक द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गयी।

अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत के निराकरण के संबंध में की गयी कार्यवाही विधिसम्मत पाये जाने पर फोरम द्वारा मान्य करते हुये प्रकरण समाप्त किया जाता है।

प्रकरण निर्णीत।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 10.10.2018
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस.मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य (राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष